भाग दो
योजना का कार्यान्वयन

योजना का कार्यान्वयन

पांच चयनित राज्यों में लाभार्थी

2.1 पांच चयनित राज्यों में लाभार्थियों की प्रवृत्ति

पांच चयनित राज्यों में लाभार्थियों की वर्ष-वार प्रवृत्ति को चार्ट 3 में दर्शाया गया है:

चार्ट 3: चयनित राज्यों में 2012-17 के दौरान लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाली प्रवृति

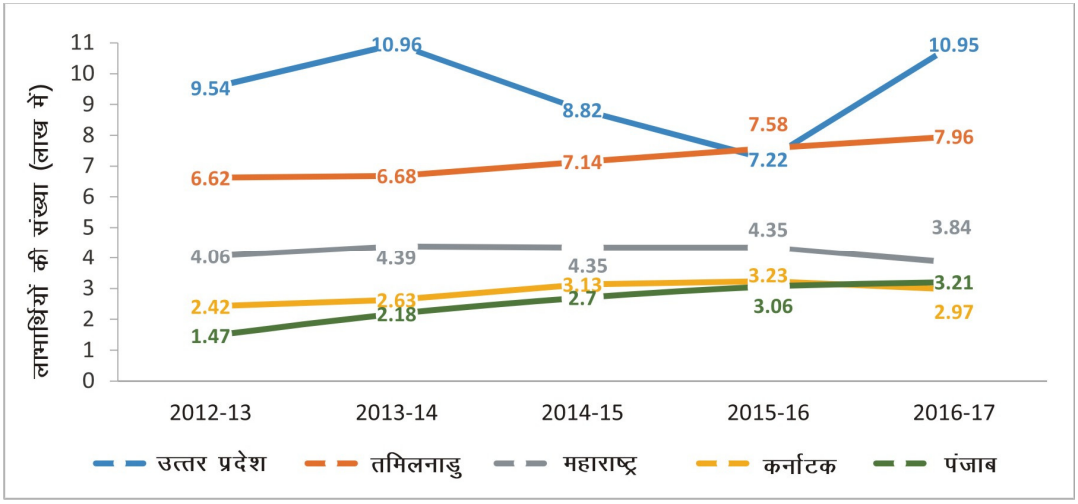

स्त्रोत: राज्य सरकारों के अभिलेख (यह आकड़े मंत्रालय के अभिलेखों से मेल नहीं खाते है)

2016-17 में लाभार्थियों की संख्या **पंजाब** तथा **तमिलनाडु** में बढ़ी जबकि शेष तीन राज्यों **कर्नाटक**, **महाराष्ट्र** तथा **उत्तर प्रदेश** में यह कम हुई।

कर्नाटक में कमी के कारण विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे।

महाराष्ट्र में 2015-16 में 4.35 लाख से 2016-17 में 3.84 लाख तक छात्रवृत्ति में कमी इस तथ्य के कारण थी कि प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदनों (4.66 लाख) के केवल 82 प्रतिशत को ही वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सका था क्योंकि सात तथा 10 प्रतिशत छात्रवृत्ति के मामले क्रमशः कॉलेज तथा जिला स्तर पर लंबित थे।

उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या 2013-14 में 10.96 लाख से 2015-16 में 7.22 लाख तक कम हुई क्योंकि वर्ष 2015-16 से संबंधित तीन लाख छात्रवृत्ति आवेदन संस्वीकृति हेतु विभाग के पास लंबित रहे। जिला सामाज कल्याण अधिकारी इलाहाबाद ने बताया (दिसबंर 2017) कि आवेदनों की बड़ी संख्या को 2014-15 तथा 2015-16 में सक्षम (ऑनलाइन पोर्टल) के माध्यम से ऑनलाइन सख्त जांच तथा आवेदन जमा करने में संस्थानों/छात्रों की दक्षता में कमी के कारण सक्षम पर अस्वीकृत कर दिया गया था। उसने यह भी बताया कि सरकार ने समस्या का संज्ञान ले लिया था तथा संस्थानों/छात्रों को आवेदनों में त्रुटियों का समाधान करने की सलाह दी जिसके परिणामस्वरूप 2016-17 में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि थी।

***

योजना दिशानिर्देशों में अंतर

किसी भी केन्द्रीय प्रायोजित योजना हेतु दिशानिर्देशों को योजना के प्रत्येक संघटक तथा विभिन्न प्रक्रियाओं की पद्धति/क्रियातंत्र का उल्लेख करते हुए व्यापक होना प्रत्याशित है। लेखापरीक्षा ने योजना दिशानिर्देशों में निम्नलिखित अतंर पाए।

3.1 वार्षिक कार्य योजना/परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना

योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को प्रभावी कवरेज प्रदान करने के लिए आवश्यक धनराशि के व्यवस्थित और सही आंकलन के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करना अत्यावश्यक है। लेखापरीक्षा ने योजना प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियों की पहचान की:

(i) किसी वार्षिक कार्य योजना या परिप्रेक्ष्य योजना का अभाव: दिशानिर्देशों में वार्षिक कार्य योजना तैयार करने और उसकी प्रस्तुति हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी न ही मंत्रालय द्वारा कोई आदेश/निर्देश जारी किए गए थे। पाँच चयनित राज्यों में फील्ड लेखापरीक्षा से पता चला कि वर्ष 2012-17 के दौरान पीएमएस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की संख्या के आंकलन या उसके समय पर कवरेज के लिए कार्यनीति हेतु कोई वार्षिक कार्य योजना अथवा परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनायी गयी थी।

(ii) पात्र छात्रों के किसी भी डाटाबेस का अभाव: इसके अतिरिक्त, पाँच चयनित राज्यों में से किसी ने कोई वर्ष-वार डाटाबेस नहीं बनाया था जिसे 2012-17 के दौरान आगामी वर्षों के लिए अनुमान लगाने में प्रयोग किया जा सके। **महाराष्ट्र** में, समाज कल्याण आयुक्त ने शैक्षणिक वर्ष के दौरान बिना किसी आधार के छात्रों की संख्या बढ़ाकर छात्रों का एक अनुमानित आंकड़ा निकाला और इसके लिए भारत सरकार से निधियों की मांग की।

चयनित राज्यों के पास वार्षिक कार्य योजना और पात्र छात्रों का डाटाबेस नहीं होने से, **तमिलनाडु** को छोड़कर राज्यों में लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के सापेक्ष लाभार्थियों की अनुमानित संख्या में व्यापक विविधता थी जैसा कि **चार्ट-4** में दर्शाया गया है:

चार्ट-4: चयनित राज्यों में लाभार्थियों की अनुमानित और वास्तविक संख्या

इस प्रकार, किसी विशेष वर्ष में छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु सटीक अनुमान/योजना बनाने के लिए कोई प्रतिष्ठित प्रक्रिया नहीं थी।

3.2 छात्रवृत्ति वितरण हेतु विनिर्दिष्ट समय सीमा का अभाव

योजना दिशानिर्देशों में व्यवस्था है कि सभी राज्य सरकारें/यूटी प्रशासन प्रत्येक वर्ष मई-जून में योजना का ब्यौरा घोषित करेंगे और राज्य के प्रमुख समाचार-पत्रों, अपनी संबंधित वेबसाइटों और अन्य मीडिया संगठनों के माध्यम से विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन आमंत्रित करेगा। आवेदक को आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से पहले निर्धारित प्राधिकरण के समक्ष पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन को निर्धारित प्राधिकरण द्वारा सत्यापित, संशाधित और संस्वीकृत किया जाएगा जिसके बाद छात्र को राजकीय खजाने से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। चयनित पाँच राज्यों में संबंधित प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वयन की प्रक्रिया का चित्रण **अनुबंध-2** में किया गया है।

1986 में, तत्कालीन कल्याण मंत्रालय द्वारा योजना की समीक्षा हेतु स्थापित एक समिति ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा पीएमएस-एससी के कार्यान्वयन में सख्ती से पालन करने के लिए निम्नलिखित समय-सूची की अनुशंसा की थीः

ए)	मास मीडिया के माध्यम से योजना की घोषणा	31 मई तक
बी)	छात्रों द्वारा आवेदनों की प्रस्तुति	31 जुलाई या प्रवेश बंद होने के एक माह बाद
सी)	प्रपत्रों की संवीक्षा	31 अगस्त या आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर
डी)	छात्रवृति की मंजूरी और भुगतान	30 सितंबर तक

मंत्रालय ने उपर्युक्त अनुशंसा को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष मई-जून में योजना की घोषणा के अलावा और किसी क्षेत्र में कार्यान्वित नहीं किया। योजना दिशानिर्देश में परिणामतः आगे किसी आयोजन के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं थी जैसे किसी छात्र द्वारा आवेदन प्रस्तुति का समय, किसी प्रतिष्ठान द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन अग्रेषित करना, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन की मंजूरी एवं संस्वीकृत छात्रवृत्ति भुगतान करना।

कर्नाटक में, विभिन्न चरणों पर आवेदनों की प्राप्ति और प्रसंस्करण हेतु किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं था और ऑनलाइन पोर्टल को आवेदनों की प्रस्तुति हेतु पूरे साल खुला रखा जा रहा था। **तमिलनाडु** में भी, किसी भी चरण में आवेदनों के प्रसंस्करण हेतु समय सीमा निर्धारित नहीं थी।

महाराष्ट्र में, आवेदकों को निर्धारित प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर के पूर्व पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना था। यह पाया गया कि विभाग ने प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक निर्धारित तिथि को बार-बार बढ़ाया था। समाज कल्याण आयुक्त ने बताया (नवंबर 2017) कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन प्रक्रिया में अदालती मामलों तथा छात्रों द्वारा विभिन्न प्रमाण पत्रों की प्राप्ति में विलंब के कारण देर हुई थी। समय सीमा में विस्तार इस उद्देश्य से किया गया था कि कोई छात्र छात्रवृत्ति की सुविधा का लाभ उठाने से वंचित न रह जाए।

उत्तर प्रदेश में, अंतिम तिथि को (i) उम्मीदवार को आवेदन जमा करने के लिए 30 सितंबर 2016 को चार बार बढ़ाया गया था (7 अक्तूबर 2016, 26 अक्तूबर

2016, 15 दिसंबर 2016, 18 दिसंबर 2016) (ii) संस्थान हेतु संबंधित विभाग को आवेदन अग्रेषित करने के लिए तीन बार बढ़ाया गया था (15 अक्तूबर 2016, 19 अक्तूबर 2016, 05 नवंबर 2016) एवं (iii) समाज कल्याण विभाग हेतु छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु दो बार बढ़ाया गया था (31 दिसंबर 2016, 08 जनवरी 2017)।

राज्यों ने 2012-17 की अवधि हेतु अपने प्रस्तावों (केन्द्रीय सहायता हेतु मांग) को प्रत्येक वर्ष अलग-अलग समय पर जमा किया था, जिसे **चार्ट-5** में दिखाया गया है।

चार्ट-5: चयनित राज्यों से प्रस्ताव की प्राप्ति की वास्तविक तिथि

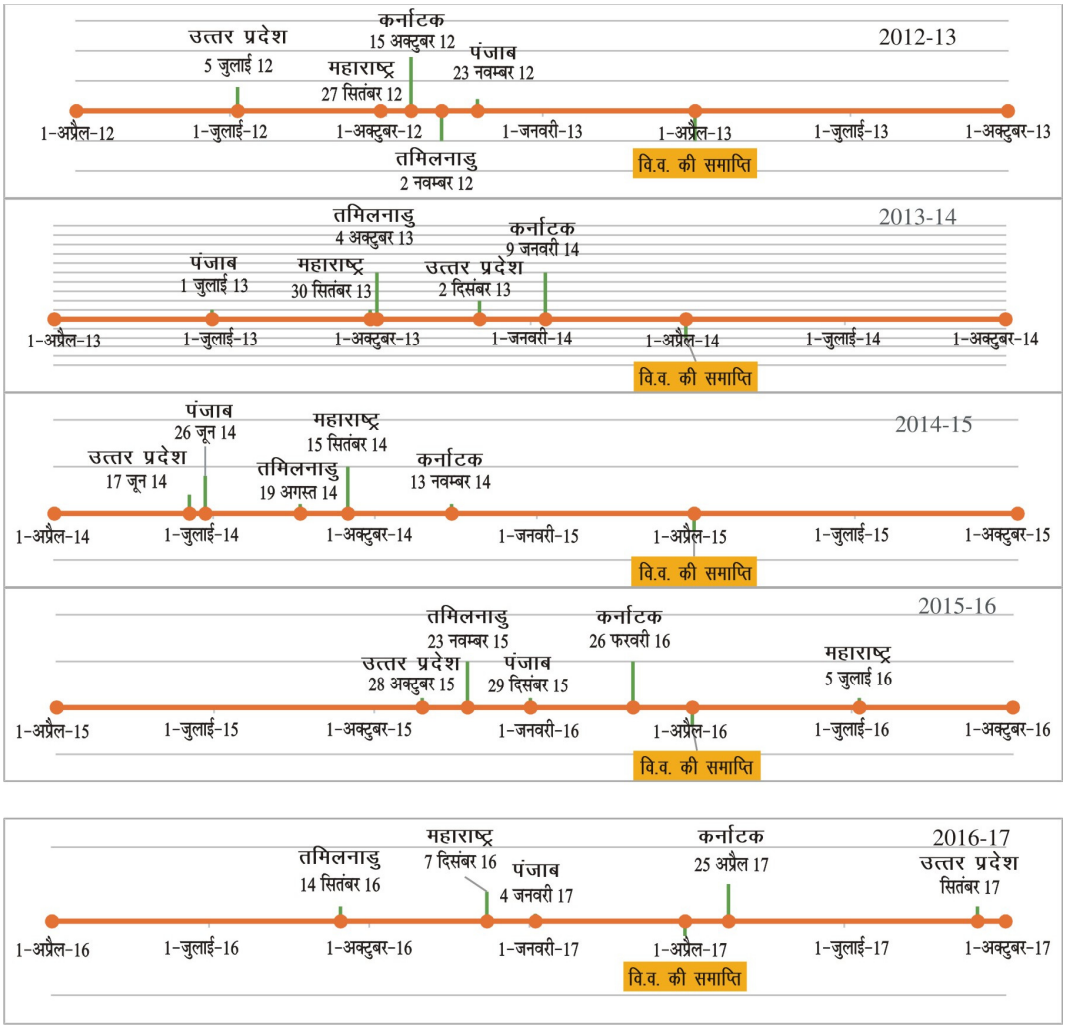

इस प्रकार मंत्रालय के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने के मामले में राज्यों में कोई एकरूपता नहीं थी। किसी विशेष राज्य के मामले में भी, वर्ष दर वर्ष कोई एकरूपता नहीं थी। तीन अवसरों पर वित्त वर्षों की समाप्ति के बाद प्रस्ताव प्राप्त किये गये (**महाराष्ट्र** 2015-16; **कर्नाटक** 2016-17 एवं **उत्तर प्रदेश** 2016-17)।

इस प्रकार प्रस्तावों की प्रस्तुति और उसके प्रसंस्करण की पूरी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है चूंकि न तो छात्रवृत्ति के आवेदनों की प्राप्ति के लिए राज्य हेतु कोई समय सीमा थी और न ही राज्यों द्वारा प्रस्तावों को मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुति के लिए ही कोई समय-सीमा थी।

नीति आयोग और मंत्रालय के संयुक्त दल द्वारा अक्तूबर-नवंबर 2015 में तीन राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब तथा तेलंगाना में योजना की समीक्षा में, यह पाया गया था कि पीएमएस प्रदान करने के लिए आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि के अभाव ने योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के वर्ष-वार दावे को निर्धारित करने को अत्यंत कठिन बना दिया था क्योंकि पिछले वर्षों का बकाया अगले वर्ष में अग्रेषित होता जा रहा था।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2018) कि राज्य सरकारें योजना के ब्यौरे मई-जून के महीने में घोषित करती है जिसमें आवेदनों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि भी शामिल होती है। इसमें स्थानीय आवश्यकता के अनुसार राज्य-दर-राज्य भिन्नता होती है। हालांकि, योजना के प्रस्तावित संशोधन में, आवेदनों की प्रस्तुति, केन्द्रीय सहायता के माँग हेतु प्रस्ताव की प्रस्तुति, आदि से संबंधित विशिष्ट समय सीमाओं के प्रावधान किये गये हैं।

योजना के अंतर्गत एक छात्र को छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु भी कोई विनिर्दिष्ट समय सीमाएं नहीं थीं। तथापि, योजना दिशानिर्देश अनुबंध करते हैं कि लाभार्थियों को छात्रवृत्तियों की राशि के सामयिक भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का नगद में भुगतान के स्थान पर डाक खानों/बैंकों में उनके खातों के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए। चार राज्यों **महाराष्ट्र**, **पंजाब**, **तमिलनाडु** तथा **उत्तर प्रदेश** में लेखापरीक्षा ने 18.58 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान में एक से छः वर्षों के बीच का विलम्ब पाया। विलम्बों को **तालिका-4** में तालिकाबद्ध किया गया है।

तालिका-4: छात्रवृत्ति के भुगतान में विलम्ब के ब्यौरे

राज्य का नाम	प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	विलम्बित आवेदनों की संख्या	वर्ष	टिप्पणियां
महाराष्ट्र	23.06 लाख	1.67 लाख	2012-17	विभाग ने छात्रों द्वारा आवेदन का देरी से प्रस्तुतीकरण, आवेदनों में पाई गई कमियों आदि को विलम्ब का कारण माना (**अनुबंध-4** में वर्ष-वार विवरण)।
पंजाब	9.41 लाख	9.41 लाख	2012-16	विभाग ने वर्ष के दौरान मंत्रालय/राज्य सरकार द्वारा निधियों के देरी से/गैर-निर्गम को विलम्ब का कारण माना।
	3.21 लाख	3.21 लाख	2016-17	2016-17 के संबंध में नवम्बर 2017 तक कोई छात्रवृत्ति वितरित नहीं की गई है।
तमिलनाडु	1.51 लाख	21,706	2012-17	आठ चयनित जिलों में से सात[1] में छात्रों को शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् छात्रवृत्तियां संस्वीकृत की गई थीं।
उत्तर प्रदेश	41.19 लाख	4.07 लाख	2014-17	आवेदनों को प्रारम्भ में 'संदिग्ध'[2] के रूप में वर्गीकृत किया गया था तथा उनका अभी भी संबंधित डीएसडब्ल्यूओ द्वारा सत्यापन किया जाना था।
कुल	**78.38 लाख**	**18.58 लाख**		

इसके अतिरिक्त, **महाराष्ट्र** में पुणे जिले में 2013-14 तथा 2014-15 की अवधि हेतु 879 कॉलेजों के 7,225 छात्रों के संबंध में कुल ₹10.58 करोड़ के छात्रवृत्ति दावे आज तक एसीएसड्ब्लयू[3] पूणे के पास लंबित थे। चूंकि ये दावे एक वर्ष से अधिक पुराने थे इसलिए वह कालातित हो गए थे तथा उन्हे अनुमोदन हेतु फिर से राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना अपेक्षित था। उपर्युक्त छात्रवृत्ति निधि का

[1] कोयम्बटूर, कुड्डालोर, मदुरै, पुडुकोट्टई, सेलम, तिरूवल्लूर तथा विरूद्धनगर

[2] वह डाटा जिसकी विभिन्न पैमानों के आधार पर ऑनलाइन जांच की गई है, को छात्रवृत्ति भुगतान प्रणाली (सक्षम वेब पोर्टल) द्वारा सही तथा संदिग्ध डाटा में अलग कर दिया गया है। दोनों प्रकार के डाटा को जांच हेतु डीएसडब्ल्यूओ को भेजा जाता है। सही तथा संदिग्ध डाटा के बीच मुख्य अंतर यह है कि पहले के मामले में छात्रवृत्ति को बिना वैध कारण दर्ज किए अस्वीकृत नहीं किया जा सकता जबकि बाद के मामले में छात्रवृत्ति को केवल उपयुक्त औचित्य दर्ज करने के पश्चात् ही अदा किया जा सकता है।

[3] सहायक समाज कल्याण आयुक्त

भुगतान करने में विलम्ब के कारणों की एसीएसडब्ल्यू पुणे से मांग की गई थी परंतु प्राप्त नहीं हुए थे।

उपरोक्त के अलावा, वाणिज्यिक पॉयलट लाइसेंस पाठ्यक्रम[4] प्राप्त कर रहे छात्रों से संबंधित आवेदनों के अनुमोदन में विलम्ब मंत्रालय तथा राज्य स्तरों दोनों में पाए गए थे। 2012-17 की अवधि के दौरान सभी राज्यों/यूटी से प्राप्त 130 आवेदनों में से ₹33.77 करोड़ के शुल्क वाले 114 आवेदनों को मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया था। पांच चयनित राज्यों हेतु 2012-17 के दौरान सीपीएल के 69 मामलों में से 32 के अनुमोदन में सात महीनों से दो वर्षों से अधिक के बीच के विलम्ब मंत्रालय के स्तर पर पाए गए थे जो कुछ राज्यों से प्रस्तावों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण थे जिसका परिणाम समेकन में विलम्ब, अनुमोदन हेतु ऐसे मामलों पर विचार करने के दिन फ्लाईंग इंस्ट्रक्टर की अनुपलब्धता के कारण फ्लाईंग संस्थान/क्लब के गैर-क्रियात्मक होने तथा डीजीसीए से फ्लाईंग संस्थान की मान्यता के संबंध में स्पष्टीकरण की विलम्बित/गैर-प्राप्ति में हुआ।

इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर मंत्रालय को मामले प्रेषित करने तथा मंत्रालय के अनुमोदन की प्राप्ति के पश्चात् छात्रवृत्तियों के संवितरण दोनों में ही विलम्ब थे। **तमिलनाडु** में, आठ आवेदनों में से केवल दो को उनकी प्राप्ति के छः महीनों के भीतर मंत्रालय को प्रेषित किया गया था। शेष छः को छात्रों के प्रमाणपत्रों की सत्यापन रिपोर्ट की अप्राप्ति के कारण सात से 21 महीनों के बीच के विलम्ब से प्रेषित किया गया था। मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत सात मामलों में से तीन फ्लाईंग संस्थान द्वारा उम्मीद्वार की पुष्टि न करने (2 मामले) तथा बैंक खाता विवरण की अप्राप्ति (शेष एक मामला) के कारण अक्तूबर 2017 तक संवितरण हेतु लंबित थे। **महाराष्ट्र** में 39[5] मामलों में से 12 को छः महीनों से अधिक के विलम्ब से मंत्रालय को प्रेषित किया गया था। 39 मामलों में से चार मंत्रालय से

---

[4] पीएमएस-एससी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति उन एससी छात्रों को भी प्रदान की जाती है जो स्वीकृत फ्लाइंग क्लबों/संस्थानों से वाणिज्यिक पॉयलट लाईसेंस (सीपीएल) का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं संबंधित छात्रों से आवेदनों की प्राप्ति के परिणामस्वरूप संबंधित राज्य सरकारें उनकी पात्रता का निर्धारण करने हेतु उनकी संवीक्षा करती है तथा मंत्रालय को प्रत्येक वित्त वर्ष सीपीएल प्रशिक्षण हेतु योग्य आवेदक की सिफारिश करती है। ऐसी सूचना की प्राप्ति पर मंत्रालय महानिदेशक नागरिक उड्डयन (डीजीसीए) से फ्लाइंग क्लबों/संस्थानों की बैधता के संबंध में जांच करता है। बाद में मंत्रालय आवेदक की वार्षिक आय आदि जैसे मापदण्ड के आधार पर मामलों को अनुमोदित करता है तथा पूरे देश हेतु 50 पुरस्कारों तक पहले आओ पहले पाओ आधार पर संबंधित राज्यों/यूटी को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने की अपनी सिफारिश प्रेषित करता है।

[5] कुल 42 मामलों को वास्तव में प्रेषित किया गया था। तीन मामलों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

अनुमोदन की तिथि से छः महीनों से अधिक के विलम्ब से भुगतान किया गया था। **उत्तर प्रदेश** में अदा किए गए 12 आवेदनों में विलम्ब एक से 42 महीनों के बीच था।

इस प्रकार, आवेदनों की प्राप्ति तथा संसाधन दोनों हेतु समय सीमा के अभाव का परिणाम पात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्तियों के संवितरण में विलम्ब से हुआ।

3.3 संस्थानों से शिक्षा के समापन, छात्रवृत्ति के रद्द करने/रोकने/प्रदान करने से इंकार करने के संबंध में अनिवार्य रिटर्नों को निर्धारित न करना

योजना का उद्देश्य दशमोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को उनकी शिक्षा पूर्ण करने में समर्थ बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। लेखापरीक्षा ने योजना दिशानिर्देशों में निम्नलिखित कमियां पाईः

ए) उन लाभार्थियों जिन्होने छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के पश्चात् सफलतापूर्वक अपनी शिक्षा पूरी की है का निर्धारण करने हेतु राज्य सरकारों हेतु योजना दिशानिर्देशों में कोई रिटर्न निर्धारित नहीं की गई है।

बी) योजना दिशानिर्देशों की धारा x(i) अनुबंध करती है कि यदि संस्थान के प्रमुख द्वारा किसी भी समय यह सूचित किया जाता है कि एक छात्र अपनी स्वयं की गलती के कारण संतोषजनक प्रगति करने में विफल रहा है अथवा दुर्व्यवहार जैसे कि हड़ताल करना या भाग लेना, संबंधित प्राधिकारियों की अनुमति के बिना उपस्थिति में अनियमितताएं आदि का दोषी रहा है तो छात्रवृत्ति की संस्वीकृति देने वाले प्राधिकारी ऐसी अवधि के लिए छात्रवृत्ति को रद्द कर सकते है अथवा आगे के भुगतान को रोक सकते है अथवा प्रदान करने से इंकार कर सकते हैं जैसा वह उचित समझे। हमने पाया कि बिजनौर (यूपी) जहां दो संस्थानों ने एक बार परीक्षा के फार्म न भरने के कारण 56 छात्रों की छात्रवृत्ति को रोके जाने के लिए सूचित किया था, के सिवाएं किसी भी चयनित संस्थानों ने ऐसे मामलों की सूचना नहीं दी थी (विवरण अनुवर्ती पैराग्राफ में)। चूंकि संस्थान के प्रमुख के लिए आवधिक अतंराल पर यह सूचना प्रस्तुत करना अनिवार्य न होने के साथ यह तथ्य कि संस्थान चूककर्ता उम्मीद्वारों के संबंध में एकत्रित अनिवार्य अप्रतिदेय

शुल्क से वंचित हो सकता है इसलिए यह जोखिम है कि संस्थान ऐसे मामलों की सूचना न दे।

3.4 दिशानिर्देशों में कोई मानीटरिंग ढांचा न होना

योजना के दिशानिर्देशों में मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु कोई प्रावधान शामिल नहीं है। तथापि, मंत्रालय ने अगस्त 2009 तथा सितंबर 2015 के अपने आदेशों के माध्यम से योजना कार्यान्वयन को मॉनीटर करने हेतु राज्यों/जिलों के लिए कुछ साधन निर्धारित किए जैसी प्रतिवेदन के पैराग्राफ 8.2 में चर्चा की गई है।

3.5 लेखापरीक्षा सारांश

योजना दिशानिर्देश जो विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु क्रियाविधि निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है को कई पहलुओं में त्रुटिपूर्ण पाया गया था। किसी भी योजना प्रक्रिया अर्थात् मंत्रालय को केन्द्रीय सहायता हेतु लाभार्थियों के प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यों में पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु कोई कार्य योजना/परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए कोई क्रियाविधि निर्धारित नहीं थी। दिशानिर्देशों न तो राज्य स्तर पर छात्रों द्वारा आवेदन के प्रस्तुतीकरण, कार्यान्वय एजेंसी द्वारा आवेदनों की संवीक्षा तथा छात्रवृत्ति की संस्वीकृति/वितरण और न ही राज्यों द्वारा मंत्रालय को अनुमानों के प्रस्तुतीकरण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करता है। योजना की उपलब्धि अर्थात् छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के पश्चात् अपनी शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्रों की संख्या का निर्धारण करने हेतु कोई ढांचा निर्धारित नहीं किया गया था। चार राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में लेखापरीक्षा ने 18.58 लाख छात्रों को शुल्क के भुगतान में एक से छः वर्षों के बीच के विलम्ब पाए। योजना के दिशानिर्देश में मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु कोई प्रावधान शामिल नहीं है। इन संघटकों से संयोजित संभावित जोखिमों को नीचे तालिकाबद्ध किया गया हैः

संघटक	शामिल जोखिम
वार्षिक कार्य योजना तैयार न करना	लाभार्थियों की संख्या के अनुमान में अंतर जो बदले में वित्तीय अनुमानों को प्रभावित कर सकते हैं।
छात्रवृत्ति के आवेदन, संस्वीकृति तथा वितरण हेतु विनिर्दिष्ट समय सीमा का अभाव	आवदेन वर्ष के अंत तक प्राप्त किए गए। वर्ष के दौरान सृजित किए जाने वाले वैध आवेदकों की वास्तविक संख्या की कोई जानकारी न होना। पात्र लाभार्थियों को लाभों के वितरण में अनुचित विलम्ब जो वित्तीय समस्या का कारण बनता है।
शिक्षा के सफलतापूर्वक समापन की मॉनीटरिंग न करना	राज्य उन छात्रों की संख्या का निर्धारण करने में समर्थ नहीं होगा जो वास्तव में योजना के उद्दिष्ट लाभ प्राप्त कर रहे है। छात्रवृत्ति लाभों का वास्तविक आवेदनों के स्थान पर गैर गंभीर छात्रों को वितरण किया जा सकता है संस्थानों स्वयं के लिए शुल्क का दावा करने के एकमात्र उद्देश्य हेतु गैर गम्भीर उम्मीदवारों को आकर्षित कर सकता है।

***

वित्तीय प्रबंधन

किसी भी केन्द्र प्रायोजित योजना में लाभ के प्रभावी वितरण हेतु उचित बजट अनुमान और आवश्यकता के समनुरूप निधियों के आबंटन सहित कुशल वित्तीय प्रबंधन महत्वपूर्ण है। हमने राज्यों में अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के आबंटन, निधियों के विपथन तथा त्रुटिपूर्ण अभिलेख अनुरक्षण के मामले पाए, जिस पर नीचे चर्चा की गयी है।

4.1 अपर्याप्त बजटीय समर्थन

मंत्रालय राज्यों/यूटी को अनुमानित लाभार्थियों पर उस वर्ष में किए जाने वाले अनुमानित व्यय को उनके द्वारा पूरी की जानी वाली प्रतिबद्ध देयता की राशि को कम करके राज्यों/यूटी द्वारा तैयार अनुमानों के आधार पर केन्द्रीय सहायता का अपना भाग जारी करता है। पिछले वर्षों के संबंध में केन्द्रीय सहायता के बकायों, यदि कोई, का भी राज्यों/यूटी द्वारा अपनी मांगों में दावा किया जाता है।

राज्यों से प्राप्त की गयी और 2012-17 के दौरान जारी की गयी केन्द्रीय सहायता(सीए) के साथ मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित और वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान **तालिका -5** में दिये गये हैं :

तालिका-5: बजट अनुमान, माँग तथा जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्यों द्वारा मांग	मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित बजट	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	जारी हुई सीए	बकाया	संचित बकाया#
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2)-(6)	(8)
2012-13	2,755.58*	1,700.00	1,500.00	1,500.00	1,654.65##	1,100.93	**1,558.16**
2013-14	3,597.72	1,700.00	1,500.00	1,908.87	2,153.50##	1,444.22	**2,209.00**
2014-15	4,199.50	2,375.00	1,500.00	1,904.78	1,963.38##	2,236.12	**4,588.99**
2015-16	4,532.31	4,500.00	1,599.00	2,216.05	2,213.88	2,318.43	**6,182.16**
2016-17	4,246.84**	4,500.00	2,791.00	2,820.70	2,798.77	1,448.07	**7,579.64**
कुल	**19,331.95**	**14,775.00**	**8,890.00**	**10,350.40**	**10,784.18**		

कॉलम (8) में संचित बकाया की राशि अगले वर्ष हेतु मांग प्रस्तुत करते समय किसी भी वर्ष के दौरान बकायों के संचित योग के साथ मेल नहीं खाती है इसलिए राज्यों ने उस वर्ष के उनके वास्तविक व्यय के आधार पर गत वर्ष हेतु बकायों के आकड़ों का संशोधन किया।

* राज्यों के साथ गत वर्ष के बकायों अथवा अव्ययित शेष, यदि कोई है, के समायोजन के पश्चात।

संशोधित अनुमानों से अधिक व्यय अन्य योजनाओं की बचतों से किया गया था।

** इन आंकड़ों में पांच राज्यों बिहार, गुजरात, झारखण्ड, मेघालय तथा उत्तर प्रदेश के तथा चार यूटी चण्डीगढ़, दमन एवं दीव, दिल्ली, पुडुचेरी की मांगे शामिल नहीं है जिन्हे वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं किया गया या फिर वेब-पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया गया तथा मंत्रालय द्वारा शामिल नहीं किया गया।

2012-17 के दौरान मंत्रालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित ₹14,775 करोड़ के बजट अनुमानों के सापेक्ष वित्त मंत्रालय ने केवल ₹10,350 करोड़ (70 प्रतिशत) को अनुमोदित किया।

मंत्रालय ने 2012-13 हेतु ₹1,700 करोड़ की निधि आवश्यकता को अनुमानित किया जिसमें से वित्त मंत्रालय द्वारा ₹1,500 करोड़ प्रदान किए गए थे। चूंकि यह निधियां मांगो को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं थी इसलिए वर्ष की समाप्ति पर ₹1,101 करोड़ के बकाया संचित हुए। वर्ष 2013-14 में, मंत्रालय ने (i) ₹2,755 करोड़ की गत वर्ष की मांग तथा (ii) इसके बाद आय सीमा में मौजूदा ₹2 लाख से ₹2.5 लाख प्रतिवर्ष तक के संशोधन के कारण सभी राज्यों में मांग में वृद्धि से अवगत होने के बावजूद भी ₹1,700 करोड़ का बजटीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मंत्रालय ने 2014-15 तथा 2016-17 में पिछले वर्ष की मांग से कम आवश्यकता का अनुमान जारी रखा। निरंतर कम निर्गम के परिणामस्वरूप बकायों की वृद्धि की प्रवृत्ति **चार्ट -6** में दी गई है:

चार्ट-6: 2012-17 के दौरान बकायों की वृद्धि

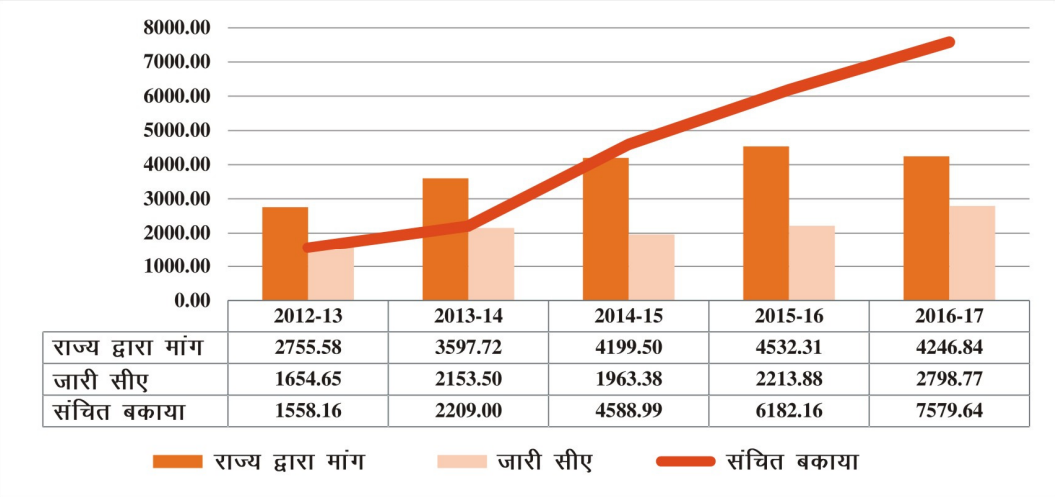

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राज्य द्वारा मांग	2755.58	3597.72	4199.50	4532.31	4246.84
जारी सीए	1654.65	2153.50	1963.38	2213.88	2798.77
संचित बकाया	1558.16	2209.00	4588.99	6182.16	7579.64

इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सहायता के निरंतर कम निर्गम का परिणाम कुल ₹7,580 करोड़ के बकायों के संचयन में हुआ। 2014-15 के पश्चात, बकायों का संचयन उस परिस्थिति का कारण बना जहां मंत्रालय के पास निधियों की उपलब्धता तथा राज्यों द्वारा प्रस्तुत मांग के बीच का अंतर बड़ा होना प्रारम्भ हो गया। मंत्रालय ने बकायों को पूरा करने हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के मामले को काफी विलम्ब से जून 2015 में वित्त मंत्रालय के साथ उठाया।

तथापि, 2016-17 हेतु प्रक्षेपणों ने भी 2015-16 की समाप्ति तक संचित ₹6,182 करोड़ के बकायों को ध्यान में नहीं रखा था।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2018) कि चूंकि योजना की कोई सीमा नहीं है तथा व्यय कुछ घटको जैसे लाभार्थियों की संख्या, ट्यूशन शुल्क, पाठ्यक्रमों की संख्या, शुल्कों का विनियमन आदि पर निर्भर है इसलिए अनुमानित आकड़ो में अंतर होना संभावित है। इसके अतिरिक्त, चूंकि राज्य लाभार्थियों की अनुमानित संख्या का निर्धारण करने हेतु कोई वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं करते हैं इसलिए उनके द्वारा प्रक्षेपित अनुमानित मांग के आंकड़े गलत हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने बजट आवश्यकताओं का प्रक्षेपण करते समय पिछले वर्षों के बकायों को ध्यान में नहीं रखा। बढ़ते हुए बकायों के कारण राज्यों को छात्रों को लाभ प्रदान करने में संभावित विलम्ब के साथ-साथ पात्र छात्रों को लाभों से इंकार न करने के लिए योजना के अंतर्गत व्यय के बड़े भाग को वहन करना होगा।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2018) कि अब तक जहां प्रतिबद्ध देयता के प्रति राज्यों द्वारा व्यय का संबंध है वह यह मानते हुए केन्द्रीय सहायता के निर्गम पर विचार करता है कि राज्य ने पहले ही अपनी प्रतिबद्ध देयता का उपयोग कर लिया है तथा प्रतिबद्ध देयता से अधिक व्यय को उपलब्ध निधि के आधार पर जारी किया गया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि प्रतिबद्ध देयता की परिभाषा को राज्यों को अधिक स्पष्टता प्रदान करने हेतु योजना के प्रस्तावित संशोधन में परिवर्तन किया जाएगा।

4.2 अतिरिक्त प्रतिबद्ध देयता

पिछले पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान राज्य द्वारा किए गए व्यय को अनुवर्ती पंचवर्षीय योजना के दौरान उस राज्य की प्रतिबद्ध देयता के रूप में अंतरण किया जाता है। केन्द्र तथा राज्य के बीच देयता का विभाजन करने की इस पद्धति में 2012-17 के दौरान परिवर्तन हुआ क्योंकि योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की स्वीकार्यता की आय सीमा को 1 जुलाई 2010 से अर्थात् 11वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर ₹1 लाख से ₹2 लाख तक बढ़ा दिया गया था। परिणामस्वरूप, भारत सरकार, ने विशेष मामले के रूप में निर्णय लिया कि इस

वृद्धि, जिसे अतिरिक्त प्रतिबद्ध देयता (एसीएल) कहा गया है, को राज्यों को 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च 2017 को न कि 11वीं योजना की समाप्ति पर हस्तांतरित किया जाएगा।

मंत्रालय ने हालांकि न तो एसीएल की राशि का परिकलन किया और न ही इसके पास 1 अप्रैल 2017 से परिकल्पनानुसार राज्यों को इसे हस्तांतरित करने की कोई योजना मौजूद थी।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2018) कि एसीएल के मामले को योजना के प्रस्तावित संशोधन में उठाया गया था जो अभी प्रक्रियाधीन ही था।

4.3 राज्यों में निधि प्रबंधन

2016-17 कि समाप्ति पर ₹7,580 करोड़ (**अनुबंध 5** में विवरण) के बकायों में से ₹5,368 करोड़ (71 प्रतिशत) के बकाया पांच चयनित राज्यों से संबंधित थे। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित का पता चला :

(ए) कर्नाटक

2012-17 के दौरान, ₹1,733.39 करोड़[6] की कुल उपलब्ध निधियों के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अव्ययित शेष को छोड़ते हुए केवल ₹1,505.46 करोड़ का उपयोग किया गया जो ₹17.67 करोड़ (2012-13) से ₹108.28 करोड़ (2016-17) के बीच था। इन अव्ययित शेषों के बावजूद इन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान प्रतिबद्ध परंतु भुगतान न की गई छात्रवृत्ति के बकाया भी ₹12.25 करोड़ (2016-17 में 10,250 छात्र) से ₹76.36 करोड़ (2014-15 में 38,573 छात्र) के बीच थे।

[6] इसमें सीए के रूप में ₹186.42 करोड़ पिछले वर्ष के सीए के अव्ययित शेष के रूप में ₹82.95 करोड़, राज्य की प्रतिबद्ध देयता के रूप में ₹914.35 करोड़ तथा राज्य द्वारा अपनी प्रतिबद्ध देयता से अधिक जारी शेष ₹549.67 करोड़ शामिल है।

(बी) महाराष्ट्र

2012-17 में से प्रत्येक वर्ष के दौरान निधियों की उपलब्धता आवश्यकता से कम थी तथा 2016-17 की समाप्ति तक ₹1,155.09 करोड़ के बकाया संचित[7] हुए। 2016-17 के दौरान, पिछले वर्ष के कुल ₹850 करोड़ के संचित बकायों की वृद्धि का परिणाम उस वर्ष हेतु केवल 17 प्रतिशत पात्र आवेदकों के आवृतन में हुआ। जिसने इस प्रकार शेष 83 प्रतिशत लाभार्थियो को समय पर लाभ से वंचित किया जो भुगतान के बकाया हो गए।

2015-16 में, समाज कल्याण आयुक्त ने ₹100 करोड़ की अनुपूरक अनुदान अनुमत किया जिसे मार्च 2015 तक रद्द होने को ₹1.92 लाख संचित आवेदनों के संचय का निपटान करने हेतु स्वीकृत किया गया था।

(सी) पंजाब

2012-17 के दौरान, ₹1,403.14 करोड़ की सीए हेतु कुल बजट मांग के सापेक्ष मंत्रालय ने ₹372.08 करोड़ के बकाया को छोड़ते हुए केवल ₹1031.06 करोड़ जारी किए। इसी प्रकार, अपनी स्वंय की प्रतिबद्ध देयता के रूप में 2012-17 के दौरान ₹306.71 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के सापेक्ष राज्य सरकार ने केवल ₹273.48 करोड़ जारी किए जिसका परिणाम ₹33.23 करोड़ के कम निर्गम में हुआ। मंत्रालय द्वारा सीए के कम निर्गम के कारण राज्य ने लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का समय पर संवितरण नहीं किया जैसा पैराग्राफ सं. 3.2 में वर्णन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 हेतु सीए के रूप में प्राप्त ₹280.81 करोड़ के सापेक्ष राज्य सरकार ने केवल ₹279.77 करोड़ जारी किए तथा ₹1.04 करोड़ की शेष राशि इसके द्वारा अपने पास रखी गई।

(डी) तमिलनाडु

2013-17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्ध देयता से अधिक ₹883.65 करोड़ की अतिरिक्त निधियों के निर्गम के बावजूद 2012-17 की अवधि के

[7] 2016-17 की समाप्ति तक प्रतिबद्ध परंतु भुगतान न की गई छात्रवृत्ति के कारण केन्द्रीय सहायता के बकायों को छोड़कर।

प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रतिबद्ध छात्रवृतियों को भुगतान नहीं किया जा सका जिसका परिणाम ₹1,201.95 करोड़ (2016-17) तक बकायों के संचयन में हुआ।

(ई) उत्तर प्रदेश

2012-17 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹7,361.39 करोड़ की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जिसमें से राज्य सरकार की देयता ₹3,306.50 करोड़ थी तथा शेष ₹4054.89 करोड़ को मंत्रालय द्वारा सीए के रूप में जारी किया जाना था। ₹4,054.89 करोड़ के सीए की कुल आवश्यकता के सापेक्ष मंत्रालय ने ₹2,225.59 करोड़ जारी किए जिसका परिणाम ₹1,829.30 करोड़ के बकायों के सचंयन में हुआ।

हमने यह भी पाया कि 2012-17 के दौरान ₹9,580.43 करोड़[8] (प्रतिबद्ध देयता एवं सीए सहित) की निधियों के समग्र निर्गम में से राज्य सरकार द्वारा केवल ₹7,332.72 करोड़ का संवितरण किया गया था। इस राशि में बकाया शामिल थे जो कुल भुगतानों के 12 से 48 प्रतिशत के बीच थे जिसने छात्रवृत्तियों के संसाधन, अनुमोदन तथा संवितरण में अकुशलता को दर्शाया।

4.4 असंवितरित छात्रवृत्तियॉ

छात्रवृत्ति के भुगतान का सफलतापूर्वक लेन-देन कई घटकों पर निर्भर है जैसे लाभार्थी द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर बैंक खाते तथा अन्य विवरणों की सही सूचना का प्रस्तुतीकरण तथा/अथवा अन्य प्रकार से शैक्षणिक संस्थान/विभाग द्वारा इसका अनुवर्ती सत्यापन शामिल है। तीन राज्यों **महाराष्ट्र**, **तमिलनाडु** तथा **उत्तर प्रदेश** में बैंक विवरणों के बेमेल होने आदि के कारण ₹375.30 करोड़ की अंवितरित छात्रवृत्तियों के उदाहरण पाए गए थे जिसका परिणाम छात्रों को छात्रवृत्तियों से वंचित रहने में हुआ जैसा **तालिका-6** में दर्शाया गया है।

[8] इसमें सीए के रूप में ₹2,225.59 करोड़, राज्य की प्रतिबद्ध देयता के रूप में ₹3,306.50 करोड़ तथा राज्य द्वारा अपनी प्रतिबद्ध देयता से अधिक शेष ₹4,048.34 करोड़ शामिल है।

तालिका-6: असंवितरित छात्रवृत्तियों के ब्यौरे

राज्य का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	अवधि	छात्रवृत्ति निधि की वर्तमान स्थिति	कारण
महाराष्ट्र	2.50	2015-16	सात जिलों[9] के सहायक आयुक्त के बैंक खाते में रखे हुए	अमान्य बैंक खाता संख्या, बंद किये गये खाते, गलत ब्यौरे और ई-पोर्टल का बंद होना
	14.70	2016-17		
तमिलनाडु	14.81	2013-17	सीएडीडब्ल्यू[10] के बचत बैंक खाते में पड़े हुए।	गलत बैंक खाता संख्या, निष्क्रिय खाते और बैंक द्वारा रोकी गयी धनराशि को सरकारी खाते में जमा नहीं करना।
उत्तर प्रदेश	196.52	2012-13	राज्य सरकार द्वारा खाते[11] में प्राप्तियों के रूप में।	इन अप्रयुक्त निधियों को विभिन्न जिलों द्वारा शीर्ष विभाग को लौटा दिया गया था।
	107.31	2013-14		
	39.46	2014-17	खजाने में वापस जमा करा दिया गया।	छात्र बैंक खाते की निष्क्रिय स्थिति और कम क्रेडिट सीमा।
कुल	**375.30**			

4.5 निधियों का विपथन

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने चयनित राज्यों में निधियों के अप्राधिकृत विपथन के दो मामले उजागर किए। **महाराष्ट्र** में, समाज कल्याण आयुक्त, पुणे के अभिलेखो से यह पाया गया कि ₹28.60 करोड़ (₹0.15 करोड़ की अदेय देयता को छोड़कर) का व्यय 2012-17 के दौरान ई-छात्रवृत्ति पोर्टल के अनुरक्षण के लिए किया गया। **कर्नाटक** में, बैंगलूरू शहरी जिले के दो[12] तालुका समाज कल्याण कार्यालयों द्वारा 2013-17 के दौरान चार वर्षों में योजना निधि से लेखन सामग्री, कम्प्यूटरों, कम्प्यूटर पेरीफेरल आदि की खरीद हेतु ₹0.34 करोड़ की राशि का विपथन किया गया था। व्यय की दोनों मदें योजना का भाग नहीं है तथा इसलिए ₹28.94 करोड़ का व्यय अनियमित था।

---

[9] ठाणे, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती

[10] आयुक्त, आदि द्रविदर कल्याण

[11] संघ एवं राज्यों के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची में शामिल सामान्य प्रावधानों में व्यवस्था है कि अनुदान/अंशदान के अव्ययित शेष की वापसी को संबंधित मुख्य/उपमुख्य शीर्ष के अंतर्गत व्यय की कमी के रूप में दर्ज किया जाए।

[12] अनेकल तथा बैगंलूरू दक्षिण

4.6 उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति

मंत्रालय द्वारा जारी केन्द्रीय सहायता के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्रों (यूसी) को आगामी वर्ष हेतु मांग प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत किया जाना था। चूंकि राज्य सरकारें जिलों/संस्थानो को निधियां जारी कर रही थीं इसलिए इन अभिकरणों द्वारा राज्य सरकारों को यूसी का प्रस्तुतीकरण अनिवार्य हो जाता है। चयनित राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच ने निम्नलिखित प्रकट किया:

- **महाराष्ट्र** में संस्थानों से समाज कल्याण सहायक आयुक्त को प्रस्तुत किए जाने वाले यूसी की न तो मांग की गई थी और न ही नौ चयनित जिलों में से छ:[13] में प्राप्त किए गए थे। समाज कल्याण सहायक आयुक्त ने भी समाज कल्याण आयुक्त को यूसी प्रस्तुत नहीं किए थे। अन्य तीन[14] चयनित जिलों में संस्थानों द्वारा यूसी के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब था।
- **तमिलनाडु** में वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान सीएडीडब्ल्यू ने 32 जिलों में डीएडी एवं टीडब्ल्यूओ को क्रमश: ₹377.49 करोड़ तथा ₹899.49 करोड़ जारी किए परंतु उनके द्वारा अब तक इसके उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार द्वारा जारी निधियों को डीएडीडब्ल्यू के निजी जमा खाते में जमा किया जा रहा था तथा छात्रवृत्ति को छात्र तथा संस्थान के बैंक खाते में जमा किया जा रहा था तथा यूसी की मांग नहीं की जा रही थी।

[13] अहमदनगर, कोल्हापूर, नासिक, पूणे, सोलापूर, थाणे

[14] अमरावती, औरंगाबाद तथा नागपुर

4.7 लेखापरीक्षा सारांश

भारत सरकार राज्यों से छात्रवृत्ति के लिए निधियों की बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर सकी जिसके परिणामस्वरूप 2016-17 के अंत में ₹7,580 करोड़ की बकाया राशि संचित हो गयी थी। इन बकायों में से, ₹5,368 करोड़ (71 प्रतिशत) पांच चयनित राज्यों से संबंधित थे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश इन तीन राज्यों में हमने बैंक ब्यौरों के मेल नहीं खाने के कारण ₹375.30 करोड़ की असंवितरित छात्रवृत्तियों के मामले पाए थे, जिसमें पात्र छात्र छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित हुए। कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्यों में 2012-17 के दौरान ₹28.94 करोड़ की छात्रवृति निधि को ई-पोर्टल के अनुरक्षण तथा लेखन सामग्री कम्प्यूटर आदि की खरीद हेतु विपथन किया गया। इन कारकों से संबंधित संभावित जोखिमों को आगे तालिकाबद्ध किया गया है:

कारक	सम्मिलित जोखिम
भारत सरकार द्वारा राज्यों को दी गयी अपर्याप्त बजटीय सहायता	योजना के अंतर्गत व्यय का बड़ा भाग राज्यों को योजना के लाभों को छात्रों तक पहुँचने में विलंब से बचने के लिए वहन करना पड़ेगा। छात्रों को लाभ प्रदान करने में देरी।
असंवितरित छात्रवृत्ति	पात्र छात्रों को लाभ से वंचित रखना
निधियों का विपथन	छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान में विलंब केन्द्र सरकार पर अनुचित वित्तीय भार
यूसी प्रस्तुत नहीं करना	कार्यान्वयन प्राधिकरण के हिस्से दी गयी निधि के समुचित उपयोग से संबंधित कोई आश्वासन प्राप्त नहीं होना।

योजना दिशानिर्देशों और आदेशों का अनुपालन न किया जाना

यह आवश्यक है कि प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्मित योजना दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा सभी स्तरों पर अनुसरण किया जाना चाहिए। राज्यों द्वारा योजना दिशानिर्देशों का पालन न होने के निम्नलिखित उदाहरण पाए गए थे।

5.1 लाभार्थियों द्वारा शिक्षा को बंद करना

योजना के अनुसार, एक बार प्रदान की गई छात्रवृत्ति उस स्तर तक मान्य रहेगी जब अच्छे आचरण और उपस्थिति में नियमितता के साथ यह पाठ्यक्रम पूरा करे। इसे प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जाएगा बशर्ते एक पाठ्यक्रम जोकि कई वर्षो से चल रहा है उसमें छात्र अगली उच्चतर कक्षा में उन्नत होगा। यदि कोई छात्र परीक्षा में विफल होता है तो पुरस्कार तब तक नवीनीकृत नहीं किया जाएगा जब तक वह अगली उच्चतर शिक्षा में उन्नत नहीं होता। इसके अतिरिक्त, यदि कोई छात्र बीमारी या अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण परीक्षा में नहीं बैठ पाया तब चिकित्सा प्रमाणपत्र और या अन्य दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए अवार्ड का पुनर्नवीकरण किया जाएगा।

योजना दिशानिर्देश आगे अनुबंध करते हैं कि योजना के अनुसार, छात्रवृत्ति विद्यार्थी की संतोषजनक प्रगति तथा आचरण पर निर्भर करती है और किसी भी समय संस्थान के अध्यक्ष द्वारा यह सूचित किया जाए कि विद्यार्थी संतोषजनक प्रगति करने में विफल रहा या हड़ताल करना या उसमें भाग लेने, संबंधित प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उपस्थिति में अनियमितता आदि जैसे गलत आचरण के लिए दोषी हो तब छात्रवृत्ति संस्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर दे या रोक दे या जितनी अवधि के लिए उन्हें ठीक लगे तब तक के लिए आगे का भुगतान रोक दे। यह आगे प्रावधान किया गया है कि विद्यार्थी द्वारा राज्य सरकार के निर्णय पर छात्रवृत्ति राशि वापस करनी पडेगी, यदि वर्ष के दौरान जिस अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, उसे विद्यार्थी द्वारा बंद कर दिया गया हो।

लेखापरीक्षा में नमूना जांच से छात्रवृत्ति के रद्दीकरण तथा छात्रों द्वारा पढ़ाई को छोड़ने पर छात्रवृत्ति की वसूली न किए जाने के उदाहरण पाए गए है। :

5.1.1 छात्रवृत्ति को रद्द किए जाने के मामलों में शुल्क की प्रतिपूर्ति

पंजाब, **तमिलनाडु** और **उत्तर प्रदेश** के तीन राज्यों में 4,267 छात्रों जिन्होने या तो पाठ्यक्रम मध्य-सत्र में छोड़ दिया था, लम्बी अवधि से अनुपस्थित थे या स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया था उनसे 2.14 करोड़ की राशि की छात्रवृत्ति की वसूली न किए जाने के उदाहरण पाए गए थे जोकि नीचे दिए गए है:

पंजाब में, छ: चयनित जिलों में 60 चयनित संस्थानों में से 49 में 57,986 दशमोत्तर छात्रों में से 3,684 ने 2012-17 के दौरान मध्य-सत्र में पाठ्यक्रम छोड़ दिए थे (**अनुबंध-6** में विवरण)। हालांकि, इन विद्यार्थियों के संबंध में ₹14.31 करोड़ के अनुरक्षण भत्ते के साथ शुल्क का दावा इन संस्थानों द्वारा डीड्ब्ल्यूएससीबीसी से किया गया था। इसमें से, दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 2012-14 हेतु ₹0.47 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2017) कि उन्होंने वर्ष 2014-15 के लिए भुगतान को रोक दिया था और वर्ष 2012-14 एवं 2015-16 के लिए भुगतान की गई राशि को अगला भुगतान करते समय समायोजित कर दिया जाएगा। वर्ष 2016-17 के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया।

तमिलनाडु में, 80 चयनित संस्थानों में से 39 (**अनुबंध-7** में विवरण) में, 66,370 विधार्थियों में से 527 ने 2012-17 के दौरान पाठ्यक्रम पूरा किए बिना या तो पढ़ाई छोड़ दी/लम्बी अवधि से अनुपस्थित थे/स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया था परंतु उन्हें भुगतान की गई ₹1.61 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि की वसूली उनसे नहीं की गई थी।

उत्तरप्रदेश में, जिला बिजनौर के 10 चयनित संस्थानों में से दो[15] ने 2016-17 के लिए ₹5.63 लाख तक की राशि को 56 छात्रों (6,627 छात्रों में से) की छात्रवृत्तियों को रोकने के लिए डीएसडब्ल्यूओ को सूचित किया था (मार्च 2017)

[15] देवता महाविद्यालय, बिजनौर (50 छात्र: ₹5.12 लाख) और रजनीस प्रताप सिंह डिग्री कॉलेज, बिजनौर (छ: छात्र: ₹0.51 लाख)

क्योंकि उन्होंने उन पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा प्रपत्र नहीं भरे थे जिनमें वह नामांकित हुए थे। हालांकि, नवम्बर 2017 तक डीएसडब्ल्यूओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

इस प्रकार, संस्थानों ने विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाई बंद करने के बारे में नोडल विभाग/डीएसडब्ल्यूओ/लाइन विभागों को सूचना नहीं दी थी और जहां भी ऐसे मामलों के बारे में पहले वालो ने बाद वालो को सूचना दी थी उनमें बाद वाले छात्रवृत्ति के भुगतान को रोकने/भुगतान की गई छात्रवृत्ति की वसूली करने में विफल रहे थे।

5.1.2 ड्रॉप आउट/छात्रों का पुनर्प्रवेश

आदर्श रूप से लाभार्थियों की डॉप आउट दर 'शून्य' या न्यूनतम होना चाहिए। विपरीतत: लाभार्थी छात्रों की दर पाठ्यक्रमों जिनमें उन्होने दाखिला लिया था उनका दूसरे, तीसरे या आगामी वर्षों में पुर्नप्रवेश दर 100 प्रतिशत होना चाहिए। पाठ्यक्रम के अगले वर्ष में खराब नवीकरण दर परीक्षा में असफलता, पाठ्यक्रम समाप्त किए बिना स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेने, आदि जैसे कारणों की वजह से लाभार्थी द्वारा शिक्षा को छोड़ देने का सूचक है। **कर्नाटक**, **तमिलनाडु** और **उत्तर प्रदेश** के तीन राज्यों में अभिलेखों/डाटाबेस की नमूना जांच से कुछ पाठ्यक्रमों में कम नवीकरण दरों का पता लगा जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

कर्नाटक में, आठ चयनित जिलों में 80 संस्थानों की नमूना जांच से पता चला कि व्यावसयिक पाठ्यक्रमों और अन्य पाठ्यक्रमों के मामले में द्वितीय वर्ष में छात्रों का नवीकरण 62-63 प्रतिशत (4,683 छात्रों में से 2,955) तथा बी.पी.एड, एम.पी.एड, पोलीटेकनीक, बीएचएमएस, एम.टेक, बीएफए/वीवीए[16] के पाठ्यक्रमों के लिए 50 प्रतिशत से कम था (257 छात्रों में से 122) राज्य सरकार ने छात्रो के खराब पुनर्प्रवेश के लिए कारणों को सुनिश्चित नहीं किया।

[16] बी.पी एड- शारीरिक शिक्षा स्नातक, एम.पीएड- शारीरिक शिक्षा-निष्णात, पोलीटेकनीक, बीएचएमएस-होम्योपैथिक विज्ञान स्नातक, एम.टेक-तकनीकी निष्णात, बीएफए/बीवीए-ललित कला स्नातक/दृश्य कला स्नातक

उत्तर प्रदेश में, 10 चयनित जिलों के 100 संस्थानों ने अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (45 प्रतिशत) के मामले में पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में छात्रों के पुनर्प्रवेश की दर अन्य पाठ्यक्रमों (89 प्रतिशत) की तुलना में बहुत कम थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि सरकार ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों के खराब पुनर्प्रवेश दर के कारणों की पुष्टि नहीं की थी। परिणामस्वरूप, पाठ्यक्रम बीच में छोडने वाले छात्रों द्वारा लौटायी जाने वाली धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

तमिलनाडु में, सभी स्व-वित्तपोषित प्रबंधन कॉलेजों के 2015-17 की अवधि के डाटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि शैक्षणिक वर्ष 2015-16 में डाटाबेस में जो छात्र उपलब्ध थे वे शैक्षणिक वर्ष 2016-17 में नहीं पाए गए थे जोकि यह दर्शाता है कि उन्होंने द्वितीय वर्ष में अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रखा। वर्ष 2013-15 के लिए, यह पाया गया कि 25,531 छात्र जिन्होंने 2013-14 में पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था 2014-15 में उपलब्ध नहीं थे तथा 9,108 छात्र जिन्होंने 2015-16 में पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था 2016-17 में उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार, जबकि योजना दिशानिर्देशों ने लाभार्थियों द्वारा शिक्षा को छोड़ने के बारे में संस्थानों द्वारा सूचित किए जाने का तंत्र निर्धारित किया था, राज्य सरकारों ने पुर्नप्रवेश दर में सुधार हेतु सुधारात्मक कदमों को शुरू करने के लिए संस्थानों से ऐसी सूचना की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की थी।

5.2 आय सीमा के मानदंडों का पालन न करना

5.2.1 आय सीमा में संशोधन न करना

योजना दिशानिर्देश अनुबंध करते है कि 'उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां का भुगतान किया जाएगा जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से आय शैक्षणिक सत्र 2013-14 से प्रभावी प्रत्येक वर्ष ₹2.5 लाख से अधिक न हो'। मंत्रालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि **महाराष्ट्र** और **उत्तर प्रदेश** दो राज्यों ने प्रतिवर्ष ₹2.5 लाख की आय सीमा को संशोधित नहीं किया था अपितु ₹2 लाख प्रति वर्ष की पूर्व सीमा को बनाए रखा था। मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार (4 दिसम्बर 2015 और 18 जुलाई 2016) से पीएमएस-एससी के अंतर्गत संशोधित आय सीमा के कार्यान्वयन न होने के कारणों को बताने के लिए कहा

था। **महाराष्ट्र** में, जनवरी 2014 से राज्य सरकार के पास ₹2 लाख से ₹2.5 लाख प्रति वर्ष की आय सीमा के संशोधन के लिए प्रस्ताव लंबित था।

इस प्रकार, वह विद्यार्थी जिनकी माता-पिता/अभिभावक की आय प्रति वर्ष ₹2 लाख से लेकर ₹2.5 लाख थी उन्हें योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति से वंचित रखा गया था।

5.2.2 माता-पिता की आय की गणना करने का गलत मापदंड

योजना दिशानिर्देशों[17] के अनुसार, उन छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएगी जिनके माता-पिता की आय सभी स्त्रोतों से ₹2.5 लाख प्रतिवर्ष[18] से अधिक न हो/ माता-पिता/ अभिभावक की आय की गणना करते समय मकान किराया भत्ता (एचआरए) की छूट[19] है। **तमिलनाडु** में, राज्य सरकार ने एचआरए सहित अपने कुछ कार्यालयों[20] में कार्य कर रहे माता-पिता/अभिभावक की आय की गणना में महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई वेतन (डीपी) की छूट के लिए आदेश जारी किए थे (सितम्बर 1981)। इसके परिणामस्वरूप, उन अपात्र लाभार्थियों का भी कवरेज हो गया जिनके माता-पिता की आय डीए और/ या डीपी मिलाकर योजना दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक थी और इसके कारण आगे राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ा।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि दिशानिर्देशों में राज्यों द्वारा मानदंडों की छूट पर कुछ नहीं कहा गया था और यह मामला राज्यों के समक्ष उठाया गया है।

5.3 छात्रवृत्ति के कुछ घटकों को निकाला जाना

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, छात्रवृत्ति में पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए (i) अनुरक्षण भत्ता, (ii) अनिवार्य वापस न किए जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति (iii)अध्ययन दौरा प्रभार,(iv) अनुसंधान छात्रों के लिए थीसिस टाइपिंग/मुद्रण प्रभार,(v) पत्राचार पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए पुस्तक भत्ता, (vi)विशिष्ट

---

[17] प्रावधान सं. IV साधन जांच

[18] अकादमिक सत्र 2013-14 से प्रभावी

[19] बिंदु सं iv के नीचे दी गई टिप्पणी 2 'साधन जांच' से संबंधित है।

[20] सरकारी कर्मचारी, शिक्षण/गैर-शिक्षण, स्थानीय निकायों का स्टाफ, सहायता-प्राप्त संस्थानों में शिक्षक, अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी, अन्य स्वायत्त निकाय और निगम और सरकारी उपक्रम

पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तक बैंक सुविधा तथा (vii) विकलांग छात्रों हेतु अतिरिक्त भत्ता। चयनित राज्यों में, लेखापरीक्षा ने छात्रवृत्ति के घटकों का निकाला जाना पाया था जैसाकि **तालिका-7** में तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका-7: छात्रवृत्ति के कुछ घटकों को निकाले जाने के विवरण

अवधि	कार्यान्वित न किए गए घटक	टिप्पणियां
कर्नाटक		
2012-17	पुस्तक बैंक (केवल आंशिक रूप से कार्यान्वित)	राज्य में कुल 14,071 संस्थानों में से 237 संस्थानों में पुस्तक बैंक स्थापित किए गए थे।
पंजाब		
2013-17	थीसिस/टंकण प्रभार, विकलांग विधार्थियों के लिए अतिरिक्त भत्ता तथा पुस्तक भत्ता (2013-14 को छोड़कर)	राज्य ने उसे कार्यान्वित नहीं किया था।
2012-17	पुस्तक बैंक सुविधा	नोडल विभाग ने निधियां जारी नहीं की थी।
महाराष्ट्र		
2012-17	अध्ययन दौरा प्रभार, अनुसंधान छात्रों के लिए थीसिस टंकण/मुद्रण प्रभार, पुस्तक भत्ता, विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता तथा पुस्तक बैंक सुविधा।	पुस्तक बैंक के लिए आवंटित बजट के केवल 52 प्रतिशत का उपयोग पुस्तक बैंक की स्थापना के लिए किया गया था। कुछ व्यावसायिक संस्थानों में पुस्तक बैंक सुविधा की गैर स्थापना के मामले[21] पाए गए थे।
तमिलनाडु		
2012-17	अध्ययन दौरा प्रभार, अनुसंधान छात्रों के लिए थीसिस टंकण/मुद्रण प्रभार और पुस्तक बैंक	विभाग ने इसका कारण कार्यान्वयन में स्पष्टता की कमी को बताया।
2013-17	पुस्तक भत्ता	विभाग ने गैर-कार्यान्वयन का कारण भत्ते के अधिक भुगतान पर नियंत्रण का कार्य करने में कठिनाई को बताया क्योंकि उसी पाठ्यक्रम के लिए विभिन्न अध्ययन केन्द्रों द्वारा अलग-अलग शुल्क का दावा किया गया था।

[21] उदाहरणार्थ: बीजे सरकारी मेडिकल कॉलेज, पुणे ने बताया कि वे इस योजना के बारे में सचेत नहीं थे।

2012-17	विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता	विभाग ने इसका कारण विकलांग छात्रों हेतु अलग योजना की मौजूदगी को बताया।
उत्तर प्रदेश		
2012-17	अध्ययन दौरा प्रभार,टंकण/मुद्रण प्रभार, पुस्तक भत्ता, विकलांग छात्रों के लिए पुस्तक बैंक सुविधा और भत्ता	राज्य ने उसे कार्यान्वित नहीं किया।

महाराष्ट्र में, अमरावती जिले में, 2015-16 के दौरान पुस्तक बैंक के लिए राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा क्रमश: ₹12.81 लाख और ₹32 लाख जारी किए गए थे जबकि निर्धारित मानदंडो[22] के अनुसार, पुस्तक बैंक घटक पर व्यय केन्द्र/राज्यों के बीच 50-50 के आधार पर बंटा होना चाहिए था। ₹44.81 लाख के कुल उपलब्ध निधि में से, सहायक आयुक्त समाज कल्याण, अमरावती ने ₹24.44 लाख जारी किए थे और राज्य सरकार को ₹20.37 लाख की शेष राशि का अभ्यर्पण कर दिया था। राज्य सरकार द्वारा पुस्तक बैंक के लिए निधि के कम निर्गम के कारण एससी विद्यार्थियों को ₹20.37 लाख की लागत वाली पुस्तकों का लाभ नहीं मिला।

5.4 एससी छात्रों से शुल्क प्रभारित करने की अनियमित प्रक्रिया

अप्रैल 1995 में, पूर्ववर्ती कल्याण मंत्रालय ने योजना के लिए संस्वीकृति और संवितरण प्रक्रिया व्यवस्थित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे जहां उन्होने सभी राज्य सरकारों को निर्देश देने के साथ-साथ निजी संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र एससी छात्रों से किसी प्रकार का अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क-एकत्रित न किया जा सके क्योंकि यह सीधा राज्य सरकार/संस्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा संस्थानों को प्रदान की जाएगी। इन निर्देशों के उल्लंघन में, हमने 2012-17 के दौरान **कर्नाटक**, **महाराष्ट्र**, **पंजाब** और **तमिलनाडु** के चार राज्यों में पात्र एससी छात्रों से शुल्क एकत्रित किए जाने के मामले पाए गए थे जैसा कि नीचे दिया गया है:

[22] 2015-16 के दौरान केन्द्रीय सहायता मांगने वाले राज्यों से प्रस्तावों से संबंधित मंत्रालय के पत्र (सितम्बर 2015) के अनुसार।

कर्नाटक में, लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन[23] चयनित जिलों में, 80 चयनित संस्थानों में से 52 ने एससी छात्रों से पूरा शुल्क प्राप्त करने के बाद उन्हें दाखिला दिया। उन छात्रों से प्राप्त शुल्क के ब्यौरे मौजूद नहीं थे। ऐसे मामले पाए गए थे जहां संस्थानों ने पहले पात्र एससी छात्रों से शुल्क एकत्रित किया था तथा बाद में सरकार से उसे प्राप्त होने के पश्चात् भी प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी जैसाकि पैरा ग्राफ सं.5.6 में उल्लेख किया गया है।

महाराष्ट्र में, एक संस्थान ने 2012-17 के दौरान पहले उल्लिखित आदेशों का उल्लंघन करते हुए 101 छात्रों से शुल्क के रूप में ₹52.62 लाख की धनराशि वसूल की।

पंजाब में, 2013-17 के दौरान, चयनित 60 संस्थानों में से 29 संस्थानों[24] (**अनुबंध-8** में सूचीबद्ध) ने परीक्षा शुल्क/स्कूल निधि/पंजीकरण शुल्क/आदि के संबंध में 39,213 छात्रों से ₹10.14 करोड़ की राशि प्रभारित की थी।

माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय (अक्तूबर 2014) के परिणामस्वरूप, निजी संस्थानों को एससी छात्रों से शुल्क वसूलने की अनुमति दी गई थी बशर्ते कि वे सरकार से शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु दावा न करें। इसलिए, ऐसे मामलों में संपूर्ण छात्रवृत्ति को सीधे लाभार्थी के खाते में संवितरित किया जाना चाहिए था। ऐसे मामले जहां निजी संस्थानों ने छात्रों से शुल्क एकत्रित किया था और राज्य सरकार से उसका दावा किया था परंतु छात्रों को उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी जिस पर पैराग्राफ 5.6 में टिप्पणी की गई है। इसलिए, इन मामलों में, छात्रवृत्ति की पूरी राशि सीधे लाभार्थी के खाते में वितरित करनी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य पोर्टल के पास हालांकि इन मामलों की पहचान के लिए आवश्यक कॉलम मौजूद नहीं थे जहाँ संस्थान की बजाय छात्र को शुल्क की प्रतिपूर्ति होने वाली सूचना को दर्ज किया जाता।

तमिलनाडु में, राज्य सरकार ने आदेश दिया (सितम्बर 2012) कि सरकारी स्वीकृत पाठ्यक्रमों में प्रबंधन कोटा के अंतर्गत एससी छात्रों को प्रवेश देने वाले स्ववित्तपोषित निजी कॉलेजों को पात्र एससी छात्रों से जिसे की छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा एकत्र नहीं करना चाहिए। आदि-द्रविदार कल्याण

[23] बेलगवी, शिवामोग्गा एवं यादगिर

[24] 14 निजी संस्थान शामिल थे जिसका उल्लेख पैराग्राफ सं.5.6 में किया गया है।

आयुक्त (सीएडीडब्ल्यू[25]) को प्रत्येक वर्ष, वर्ष के शुरूआत में ही पीएमएस के अंतर्गत संबंधित स्व-वित्तपोषित निजी कॉलेजों को पीएमएस के अंतर्गत अपेक्षित निधियों को आवंटित कर देना चाहिए था। आठ चयनित जिलों में से चार[26] में, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार के निर्देशों के उल्लंघन में, 56 स्व-वित्तपोषित संस्थानों में से सात[27] संस्थानों ने छात्रवृत्ति हेतु पात्र 8,491 एससी छात्रों से अग्रिम रूप में ₹7 करोड़ की राशि का शुल्क एकत्रित किया था और राज्य सरकार से उसकी प्राप्ति के पश्चात् शुल्क की प्रतिपूर्ति की थी। इसके अतिरिक्त, पाँच[28] कॉलेजों में 2005-17 की अवधि हेतु ₹23.38 लाख की राशि की असंवितरित छात्रवृत्ति नवम्बर 2017 तक संस्थानों के बैंक खाते में पड़ी हुई थी।

राज्यों द्वारा मंत्रालय के दिशानिर्देशों कि पात्र छात्रों से शुल्क एकत्रित नहीं किया जाएगा, को सुनिश्चित करने का पालन न करने के कारण छात्रो पर अनापेक्षित वित्तीय बोझ पड़ा और योजना के उद्देश्यों को नष्ट किया। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था कि इस प्रकार से छात्रों से संग्रहित शुल्क को राज्य सरकार द्वारा इसकी प्राप्ति के बाद संस्थान द्वारा उन्हें लौटा दिया गया था।

5.5 शुल्क निर्धारण समिति द्वारा संस्थानों की शुल्क संरचना का अनुमोदन

मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा (सितम्बर 2015) कि वह सुनिश्चित करें कि इस्लामी शिक्षा अकादमी तथा अन्य बनाम कर्नाटक राज्य तथा अन्य में सर्वोच्च न्यायालय 1993 के डब्ल्यूपीसी 350 के आदेशों के अनुसार शुल्क निर्धारण समिति (एफएफसी) द्वारा संस्थानों के शुल्क दावों को विनियमित किया जाना

---

[25] तमिलनाडु में योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के संवितरण के लिए आदि-द्रविदर कल्याण आयुक्त (सीएडीडब्ल्यू) नोडल अधिकारी हैं।

[26] मदुरै, विरूदुनगर, पुदुकोट्टाई और कांचीपुरम

[27] मेपको श्लैंक अभियांत्रिकी महाविद्यालय (निजी), जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (सरकार), अरपुथा कला एवं विज्ञान कॉलेज, पुदुकोट्टाई, महिला हेतु श्री भारती कला एवं विज्ञान कॉलेज, पुदुकोट्टाई, श्री शंकर कला एवं विज्ञान कॉलेज, एसडीएमबी वैष्णव कला एवं विज्ञान कॉलेज, कांचीपुरम, डॉ अरूलप्पा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नीरपायर, कांचीपुरम

[28] एसडीएनबीवी कला एवं विज्ञान कॉलेज, डॉ अरूलप्पा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नीरपायर, कांचीपुरम जिला, जया पोलटेक्नीक, तिरूनीनरावुर, तिरूवल्लुर, थीयागरजर अभियांत्रिकी कॉलेज, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा केन्द्र।

चाहिए। इसके अलावा, राज्य सरकारें भी अपने राज्य में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए संस्थानों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क का निर्धारण करते हैं।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि **कर्नाटक** में किसी शुल्क निर्धारण समिति का गठन नहीं हुआ था। हालांकि, राज्य सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त/बिना सहायता प्राप्त/मानित विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क निर्धारित किया।

तमिलनाडु में, 80 चयनित संस्थानों में से सात[29] (चार कॉलेज, एक विद्यालय, एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और एक विश्वविद्यालय), ने 1,552 पात्र एससी छात्रों से 2012-17 कि अवधि के दौरान राज्य सरकार की शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के आधिक्य में प्रबंधन ने ₹4.55 करोड़ का शुल्क एकत्रित किया था।

राज्य सरकार ने रिकार्ड में न दिए गए कारणों के लिए स्व-वित्त कॉलेज में सभी पाठ्यक्रमों, बीसीए, बीएससी (नर्सिंग), एम.एससी (सीएस एवं आईटी) जैसे कुछ पाठ्यक्रमों को छोड़कर चिकित्सा तथा इंजीनिरिंग पाठ्यक्रमों के लिए राज्य सरकार ने शुल्क सरंचना निर्धारित की थी। कुछ पाठ्यक्रमों के लिए अध्यापन शुल्क के गैर निर्धारण के कारण, एसडीएनबी वैष्णव कला एवं विज्ञान कॉलेज ने पाठ्यक्रम के नाम/कोड उन पाठ्यक्रमों में बदल दिए थे जिनका शुल्क निर्धारित था उदाहरणस्वरूप बीकॉम, बीएससी आदि पर 2012-13 के दौरान 668 छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल था ताकि वह छात्रवृत्ति का दावा कर सके। अन्य उदाहरण जहां पात्र एससी छात्रों को कुछ पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क के गैर-निर्धारण के कारण छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित हुए थे, उनका उल्लेख पैराग्राफ सं. 5.6 में किया गया है।

संस्थानों द्वारा प्रभारित शुल्क को निर्धारित न किए जाने के कारण संस्थान अपने पाठ्यक्रमों मनमाना शुल्क प्रभारित कर सकते हैं जिसके कारण योजना पर अनावश्यक बोझ पड़ सकता है।

---

[29] भारती कला एवं विज्ञान कॉलेज, पुदुकोट्टाई; अरपुथा कला एवं विज्ञान कॉलेज, पुदुकोट्टाई; वेल्लाम्मलन नर्सिंग कॉलेज; विलाम्मल नर्सिंग विद्यालय; मेपको श्लेंक अभियांत्रिकी कॉलेज; जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान; अन्नामलाई विश्वविद्यालय

5.6 निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन में छात्रवृत्ति से इनकार/कम प्रतिपूर्ति

हमने पाया कि तीन चयनित राज्यों में 31,290 पात्र छात्रों को गलत आय मानदंड लगाने, शुल्क निर्धारण समिति द्वारा शुल्क का निर्धारण न करना, आदि जैसे अनुचित कारणों के कारण 2012-17 की अवधि के दौरान कुल ₹6.89 करोड़ की या तो छात्रवृत्ति से इनकार कर दिया या फिर कम प्रतिपूर्ति की थी जैसा कि **तालिका-8** में दिया गया है:

तालिका-8: छात्रवृत्ति से इनकार/कम प्रतिपूर्ति के विवरण

राज्य	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	अवधि	टिप्पणी
कर्नाटक	4,221	1.52	2012-17	योजना मानदंडों के उल्लंघन में संस्थान ने शुल्क एकत्रित की परंतु उसकी प्रतिपूर्ति उन छात्रों को नहीं की जो संस्थानों में उत्तीर्ण हुए थे।
पंजाब	32	0.01	2013-16	बिना किसी कारण के या उत्तीर्ण प्रतिशतता लगाकर और ₹2 लाख का आय मापदंड लगाकर छात्रों को छात्रवृत्ति से इनकार कर दिया था जोकि योजना का भाग नहीं था।
	9,696	1.45	2012-17	योजना मानदंडों के उल्लंघन में, 18 चयनित सरकारी संस्थानों में से 11 ने 11,830 छात्रों से शुल्क एकत्रित किया (विवरण **अनुबंध-9** में है) और राज्य सरकार से कथित राशि का दावा किया था। इन छात्रों में से कम से कम 9,696 छात्रों को शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, इन छात्रों ने संस्थानों को छोड़ दिया था (2016-17 के प्रथम वर्ष छात्रों को छोड़कर)
	17,288	3.65	2013-17	योजना मानदंडों के उल्लंघन में, 14 संस्थानों ने शुल्क एकत्रित किया परंतु उसकी प्रतिपूर्ति छात्रों को नहीं की थी।

राज्य	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	अवधि	टिप्पणी
तमिलनाडु	40	0.25	2014-17	इन छात्रों को अध्यापन शुल्क की कम प्रतिपूर्ति हुई थी क्योंकि एफएफसी द्वारा निर्धारित शुल्क के नए दरों को ऑनलाइन संवितरण छात्रवृत्ति को शामिल नहीं किया गया था।
	13	0.01	2013-17	पाठ्यक्रम हेतु शुल्क के निर्धारण न किए जाने के कारण सीएडीडब्ल्यूओ ने अध्यापन शुल्क संस्वीकृत नहीं की थी।
कुल	**31,290**	**6.89**		

उपरोक्त के अलावा, पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रमों का गैर-अनुमोदन, एफएफसी द्वारा शुल्क का निर्धारण न किए जाना के कारण छात्रवृत्ति से इनकार के मामले पाए गए थे और आधार विवरणों की अनुपलब्धता के कारण आवेदन की अस्वीकृति हुई थी जहां वित्तीय विवक्षा का पता नहीं लगाया जा सका था जिसका सार नीचे दिया गया है:

महाराष्ट्र

- योजना दिशानिर्देश के पैरा III के खंड (IX) के अनुसार, व्यस्क शिक्षा की योजना के अंतर्गत पंजीकृत छात्र योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति का लाभ उठाने हेतु पात्र थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि इग्नू (नागपुर क्षेत्रीय केन्द्र) के 1,926 पात्र एससी छात्र जोकि जनवरी 2012 से जुलाई 2017 की अवधि के दौरान पंजीकृत थे, उन्हे योजना के लाभों से वंचित रखा गया था।
- एसजेएसएडी[30] ने 2015 में पत्राचार पाठ्यक्रमों को छात्रवृत्ति प्रदान न करने का निर्णय लिया था क्योंकि उन्होंने संस्थानों के संबंधन और उनके द्वारा पाठयक्रमों को प्रदान की जा रही मान्यता को सत्यापित करने में कठिनाई आ रही थी।

[30] महाराष्ट्र में, सामाजिक न्याय विभाग और विशेष सहायता विभाग (एसजेएसएडी) योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक विभाग है।

तमिलनाडु

राज्य सरकार ने स्ववित्तपोषित कॉलेजों में सभी पाठ्यक्रमों, चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग पाठयक्रमों के लिए शुल्क अवसंरचना निर्धारित की थी परंतु पांच पाठ्यक्रमों अर्थात् बीसीए, बीएससी (नर्सिंग) और एमएससी (सीएस एवं आईटी) के लिए शुल्क अवसंरचना अनुपलब्ध कारणों से निर्धारित नहीं की थी। 16 कला और विज्ञान कॉलेजों में से आठ में यह तीन पाठ्यक्रम करने वाले 379 पात्र एससी विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा शुल्क का निर्धारण न किए जाने के कारण 2012-17 के दौरान छात्रवृत्ति से वंचित रखा गया था।

- इसके अतिरिक्त, 27 छात्र जिन्होंने आधार विवरणों के साथ अपने आवेदन अपडेट नहीं किए थे उन्हे मदुरै जिले में चयनित दस संस्थानों में छात्रवृत्ति से इन्कार कर दिया गया था जबकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि किसी छात्र को उसके देय लाभों से इनकार नहीं किया जाना चाहिए यदि वह अपना आधार आईडी प्रस्तुत नहीं कर पाता है।
- मदुरै कामराज विश्वविद्यालय में, 1,437 छात्रों को छात्रवृत्ति और भरथीयार विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में 18 छात्र जो कि वर्ष 2013-14 से 2016-17 के वर्षों के दौरान पत्राचार के अंतर्गत पाठ्यक्रम कर रहे थे, उन्हें छात्रवृत्ति संस्वीकृति नहीं की गई थी क्योंकि राज्य सरकार ने 2013-14 से पत्राचार दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों के माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान बंद कर दिया था जोकि योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। विभाग ने बताया (दिसम्बर 2017) कि यह निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि यह पता करने का कोई तंत्र नहीं था कि क्या दूरस्थ शिक्षा के छात्र वास्तव में पढ़ाई कर रहे थे और कुछ अध्ययन केन्द्र जो फ्रेन्चाइज मोड के माध्यम से कार्य कर रहे थे, जो छात्रों से ऐसे शुल्क एकत्रित कर रहे थे जोकि ऐसे छात्रों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित शुल्क से अधिक था। विवरणों के सत्यापन हेतु तंत्र की अनुपस्थिति के आधार पर दूरस्थ शिक्षा के छात्रों को योजना के लाभ से वंचित रखना तर्क संगत नहीं है।

5.7 लेखापरीक्षा सारांश

योजना दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के कारण पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश तीन राज्यों में 4,267 छात्रों जिन्होंने या तो मध्य-सत्र में पाठ्यक्रम छोड़ दिया था, लंबी अवधि से अनुपस्थित थे या स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया था, उनसे ₹2.14 करोड़ की राशि की छात्रवृत्ति की वसूली नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश ने आय सीमा को ₹2.5 लाख प्रतिवर्ष तक संशोधित नहीं किया था जबकि पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश ने योजना के कुछ घटकों को कार्यान्वित नहीं किया था। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब एवं तमिलनाडु में योजना प्रावधानों के उल्लंघन में 2012-17 के दौरान पात्र एससी छात्रों से संस्थानों द्वारा शुल्क को एकत्रित किए जाने के मामले थे। कर्नाटक में शुल्क निर्धारण समिति का गठन नहीं हुआ था और कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु के तीन राज्यों में 31,290 पात्र छात्रों को गलत आय मानदंड लगाने, शुल्क निर्धारण समिति द्वारा शुल्क के कम निर्धारण के कारण 2012-17 की अवधि के दौरान छात्रवृत्ति से वंचित रखा गया। ₹6.89 करोड़ की छात्रवृत्ति की कम प्रतिपूर्ति की गई थी। इन कारको से संबंधित संभावित जोखिम नीचे तालिकाबद्ध किए गए है:

कारक	शामिल जोखिम
छात्रों का उच्च ड्रापआउट/कम पुर्नप्रवेश दर।	योजना के अभिप्रेत उद्देश्य की प्राप्ति न होना।
सीमा-आय का पालन न करना	संभावित पात्र लाभार्थियों को लाभ से वंचित करना जोकि वैसे तो योजना के अंतर्गत कवर होने थे।
कुछ घटकों का कार्यान्वयन नहीं होना	पात्र लाभार्थियों को योजना के संपूर्ण लाभ से इनकार।
माता-पिता की आय की गणना करते समय महंगाई भत्ते/वेतन की छूट	भारत सरकार पर अतिरिक्त भार क्योंकि योजना का लाभ अपात्र छात्रों को मिल सकता है।
एससी छात्रों से शुल्क प्रभारित करने का अनियमित प्रचलन	गरीब एससी छात्रों को अनुचित वित्तीय कठिनाई जो स्थायी रूप से पढ़ाई छोड़ सकते है।
शुल्क निर्धारण समिति द्वारा संस्थानों की शुल्क सरंचना का अनुमोदन न किया जाना	गरीब एससी छात्र जिन्हें निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क के अतिरिक्त भार का वहन करना पड़ सकता है, उन पर आर्थिक कठिनाई।

***

आवेदन पत्रों की अपर्याप्त संवीक्षा तथा प्रसंस्करण

छात्रवृत्ति प्रदान करने में अंतर्निहित मुद्दों में डीएसडब्ल्यूओ/संस्थानों द्वारा पात्र अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आय/जाति/व्यवसाय प्रमाणपत्रों (या ऑनलाइन या हार्ड कापी) का संबंधित निर्गम प्राधिकरणों जैसे राज्य शिक्षा बोर्ड, राजस्व प्राधिकरण आदि के साथ पात्र अभ्यार्थियों की वास्तविकता का सत्यापन करना शामिल है। हमने ऐसे प्रमाणपत्रों की बेमेलता के निम्नलिखित उदाहरण पाए जिससे उन पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान हो सकता है।

6.1 प्रमाणपत्रों और विभागीय अभिलेखों/डाटाबेस के बीच बेमेलता

तमिलनाडु और **उत्तर प्रदेश** दो राज्यों में, नमूना जांच किए गए 2,420 आवेदनों में से 117 आवेदनों में, प्रमाणपत्रो तथा या अन्य विवरण और ऑनलाइन पर उपलब्ध, विभागीय अभिलेख तथा प्रत्यक्ष आवेदन पत्रों के बीच बेमेलता थी जिससे अपात्र विद्यार्थियों द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने का जोखिम होता है।

तमिलनाडु

- लेखापरीक्षा ने 160 विद्यार्थियों (64 चयनित संस्थानों में से आठ[31] में) में से 12 से संबंधित आय/जाति/व्यवसाय प्रमाणपत्रों में अंतर पाए थे जहाँ संस्थानों के अभिलेखों की तुलना प्रमाणपत्रों की वास्तविक प्रतियों और ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के साथ की गई थी।
- नमूना जाँच किए 1600 आवेदनों में से 15 कॉलेजों/विद्यालयों[32] से संबंधित 53 आवेदनों जिन पर ₹10.64 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गई थी, के संबंध में आय/जाति प्रमाणपत्र रिकार्ड में नहीं पाए गए थे।

---

[31] एसआरआर इंजीनियरिंग कॉलेज; श्री संकारा कला एवं विज्ञान कॉलेज; पीएसजी कला एवं विज्ञान कॉलेज; रंगनाथन इंजीनियरिंग कॉलेज; शकथी इंजीनियरिंग कॉलेज; ईश्वरी इंजीनियरिंग कॉलेज, जया पोलीटेक्निक कॉलेज; जया इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज

[32] ईश्वरी इंजीनियरिंग कॉलेज, तिरूवल्लूर जिला, वैंकटेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज तिरूवैल्लूर, आरएमजी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एलएन सरकारी कॉलेज, तिरूवेल्लूर, सेगरीपुथुर तथा मडुक्कराई में दो राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, कोयम्बटूर पीएसजी कला और विज्ञान कॉलेज, सक्थी इंजीनियरिंग कॉलेज तथा रंगानाथन इंजीनियरिंग कॉलेज, कोयम्बटूर, सरकारी कला कॉलेज कायम्बटूर, चेंगलीपेट चिकित्सा कॉलेज, सरकारी कला और विज्ञान कॉलेज, उथीरामरूर, कांचीपुरम, श्रीकृष्ण पौद्योगिकी संस्थान, कांचीपुरम, डा. अरूलप्पा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उ.मा.वि.।

- पांच जिलों[33] में चयनित 50 संस्थानों में से सात संस्थानों के 140 विद्यार्थियों में से सात द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों का संबंधित निर्गम प्राधिकरण के साथ क्रास सत्यापन करने से गलत आय/समुदाय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने विद्यार्थियों द्वारा माता-पिता के व्यवसाय की गलत सूचना देने, प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि/ सरकारी मुहर में फेर-बदल करने तथा प्रस्तुत किए गए अन्य दस्तावेजों के साथ पते का मेल न खाने के उदाहरण प्रकट हुए।
- तालुक कार्यालय, कोयम्बटूर (दक्षिण) में 15 समुदाय प्रमाणपत्रों के सत्यापन से पता चला है कि चार प्रमाणपत्र असली नहीं थे।

उत्तर प्रदेश

- तीन चयनित जिलों (आगरा, इलाहाबाद ओर मथुरा) में छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध 600 विद्यार्थियों में से 30 के आय प्रमाणपत्र संबंधित संस्थानों में उपलब्ध दस्तावेजों के साथ मेल नहीं खाते थे।
- छात्रवृत्ति पोर्टल में उपलब्ध नौ[34] संस्थानों में 180 विद्यार्थियों में से नौ के जाति प्रमाणपत्र तथा दो[35] संस्थानों में 40 विद्यार्थियों में से दो के हाईस्कूल प्रमाणपत्र में संस्थानों में उपलब्ध प्रमाणपत्रों की प्रतियों के साथ मेल नहीं खाते थे।

तमिलनाडु में तीन मामलों में, लाभार्थी सर्वेक्षण से आवेदन पत्र में विद्यार्थी द्वारा घोषित माता-पिता के व्यवसाय की सर्वेक्षण प्रश्नावली में दिए गए व्यवसाय की तुलना से बेमेलता भी प्रकट हुई। **उत्तर प्रदेश** में लाभार्थी सर्वेक्षण में, सर्वेक्षित 973 विद्यार्थियों में से 49 मामलों में इसी तरह की बेमेलता प्रकट हुई थी।

---

[33] कोयम्बटूर, कुड्डलोर, कॉचीपुरम, पुडुकोटाई तथा तिरूवैल्लूर।

[34] आगरा: रघुराम कॉलेज कागरोल, राजा एसपी सिंह डिग्री कॉलेज इटौरा, सेठ राम स्वरूप गोविन्दी देवी मेमोरियल डिग्री कॉलेज तथा श्री लाल सिंह डिग्री कॉलेज अविधगढ़, इलाहाबाद: सरदार पटेल इंटर कॉलेज सिकरी, राजनायाण पांडे पीजी कॉलेज तथा प्रताप नरायण सुभद्रा देवी डिग्री कॉलेज और मथुरा: बिज हितकारी इंटर कॉलेज बजना तथा ऊषा एजूकेशनल संस्थान।

[35] मथुरा: श्री बाबूलाल महाविद्यालय, तथा जसवंत सिंह प्रौद्योगिकी संस्थान, मथुरा।

6.2 अपात्र विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्ति/छात्रवृत्ति के अग्राह्य दावे

हमने छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र विद्यार्थियों के साथ-साथ छात्रवृत्ति के अग्राहय/दुगुने दावे अनुमोदित करने के उदाहरण पाए।

6.2.1 अपात्र विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्ति

उत्तर प्रदेश में 374 अपात्र विद्यार्थियों को ₹1.95 करोड़ राशि की छात्रवृत्ति का अनियमित भुगतान पाया गया था जिसकी आगे चर्चा की गई है।

- विद्यालय के उप-निरीक्षक जोकि संस्थान के डाटा की यथार्थता को सत्यापित करता है द्वारा दिसम्बर 2014 में संस्थान को अपात्र घोषित करने के पश्चात भी 2015-17 में जिला बिजनौर के दो संस्थान[36] के 367 विद्यार्थियों को ₹1.95 करोड़ की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया।

- बिजनौर तथा मथुरा दो जिलों में सात विद्यार्थियों (छ: जिनके माता-पिता की आय ₹2 लाख से अधिक तथा एक जिसकी माता-पिता की आय ₹5 लाख थी) को 2015-16 के दौरान ₹57,669 की छात्रवृत्ति दी गई थी। डीएसडब्ल्यूओ बिजनौर ने संबंधित बैंकों को छात्रवृत्ति रोकने के लिए पत्र लिखे (फरवरी, मार्च 2016)। तथापि, नवम्बर 2017 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

6.2.2 छात्रवृत्ति के अग्राह्य दावे

पंजाब में, चयनित छ: जिलों से चार[37] में इलैक्ट्रानिक डाटा (2013-14 के लिए 85,166 लाभार्थी) तथा 17 संस्थानों[38] (2012-17 के 13,997 लाभार्थी) के विश्लेषण से पता चला कि 115 एससी विद्यार्थियों के विवरण अर्थात् नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि दो बार दर्शाए गए हैं जिससे यह प्रकट होता है कि

---

[36] धर्मवीर डिग्री कॉलेज बिजनौर और धर्मवीर शिक्षा कॉलेज बिजनौर

[37] (i) होशियारपुर, (ii) जालंधर, (iii) मोगा, तथा (iv) पटियाला

[38] नैंसी पॉलीटेक्निक कॉलेज, आर्दश पोलीटेक्निक कॉलेज, पटियाला पोलीटेक्निक कॉलेज राखरा,पंजाब यूनिवर्सिटी, आईटीआई पटियाला: जीएसएसएस नाभाजी, जीएसएसएस होशियारपुर, जीएसएसएस बाघा पुराना, जीजीएसएसएस मोगा, मेहर चन्द पोलीटेक्निक कॉलेज जालंधर, सत्यम कॉलेज ऑफ पोलीटेक्निक डीएवी कॉलेज ऑफ एजू. एसजीजीएस खालसा कॉलेज, संत हरि सिंह मेमोरियल महिला कॉलेज, डीएवी कॉलेज होशियारपुर, सरकारी होशियारपुर कॉलेज, बीसीएमएस पोलीटेक्निक, अटलगढ़।

इन विद्यार्थियों के साथ-साथ संबंधित संस्थानों ने गलत विवरण प्रस्तुत करके दो बार ₹59.12 लाख के शुल्क तथा अनुरक्षण भत्ते का दावा किया था। विभाग ने वर्ष 2014-15 के लिए ₹9.92 लाख का भुगतान रोक दिया था तथा वर्ष 2016-17 के लिए ₹1.28 लाख का भुगतान रोक दिया था। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2017) कि वर्ष 2013-14 तथा 2015-16 के लिए दी गई राशि को अगला भुगतान करते समय समायोजित किया जाएगा तथा वर्ष 2016-17 में कोई भुगतान नहीं किया गया था।

एक अन्य मामले में, हाई-टैक पॉलीटेक्निक कॉलेज, भटिंडा ने 2015-16 के दौरान योजना के बारे में विज्ञापन देकर निकट के एससी विद्यार्थियों से दस्तावेज एकत्र करके छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र अपलोड करने में उनकी सहायता की। इन विद्यार्थियों में से, 81 विद्यार्थी संस्थान में नहीं गए और संस्थान ने भी इस संबंध में डीडब्ल्यूएससीबीसी को सूचित नहीं किया। हाई-टैक पोलीटेक्निक कॉलेज भटिंडा के अभिलेखे की पोर्टल डाटा के साथ क्रास सत्यापन करने से पता चला कि उक्त कॉलेज ने 398 वास्तविक विद्यार्थियों के सापेक्ष पोर्टल पर 479 विद्यार्थियों के फीस तथा एमए का दावा किया तथा विभाग द्वारा संबंधित संस्थान को उक्त दावे का भुगतान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 81 बोगस विद्यार्थियों के सापेक्ष ₹26.02 लाख की प्रतिपूर्ति हुई। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2017) कि अधिक दी गई राशि का अंतिम भुगतान करते समय निपटान किया जाएगा तथा संस्थान के प्रति आवश्यक कार्रवाई आरंभ करने के लिए कार्यान्वयन विभाग को निर्देश जारी किए जाएंगे।

6.3 बैंकर चैकों में विसंगतियां

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और सहारनपुर जिलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएसडब्ल्यूओ द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों में ₹9.42 करोड़ (इलाहबाद: ₹0.03 करोड़ तथा सहारनपुर: ₹9.39 करोड़) राशि के 230 बैंकर चैकों के संबंध में लाभार्थियों और बैंकों के नाम उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, यह आश्वासन नहीं था कि ₹9.42 करोड़ राशि का छात्रवृत्ति वास्तव में लाभार्थियों के खाते में जमा की गई थी और निधियों का कहीं और विपथन नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त, मेरठ जिले में ₹5.91 करोड़ के बैंकर चैक गलत नाम/खाता संख्या/आईएफएससी कोड/आदि के कारण बैंक द्वारा विद्यार्थियों के बैंक खाते में

जमा नहीं किए गए थे और डीएसडब्ल्यूओ को वापस कर दिए गए थे। डीएसडब्ल्यूओ ने विसंगतियों को सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित लाभार्थियों को भुगतान सुनिश्चित करने के बजाए ₹1.51 करोड़ विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा करा दिए। शेष ₹4.40 करोड़ की राशि के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे।

6.4 दावों की अनुचित प्रतिक्रिया के कारण छात्रवृत्ति की कम प्रतिपूर्ति इनकार करना

कई कारणों जैसे राज्य सरकारों द्वारा कुछ संघटकों को शामिल न करने, जीओआई के आदेशों का अनुपालन न करने, शुल्क वसूलने की अनियमित प्रक्रिया आदि के कारण छात्रवृत्ति के इन्कार के उदाहरणों का पैराग्राफ सं. 5.4 में वर्णन किया गया है। हमने योजना के अंतर्गत **महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु** तथा **उत्तर प्रदेश** में राज्य सरकार के आदेशों का पालन न करने और कार्यान्वयन प्राधिकरणों द्वारा दावों का अनुचित संसाधन करने के कारण पात्र लाभार्थियों के कम कवरेज/कवरेज से इनकार करने के अन्य उदाहरण भी पाए थे जिनकी चर्चा नीचे की गई है।

महाराष्ट्र

- समाज कल्याण आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों (फरवरी-मार्च 2016) के अनुसार नए कॉलेजों, संस्थानों तथा पाठ्यक्रमों की मैपिंग करके उन्हें विद्यार्थियों को पीएमएस का लाभ पहुँचाने के लिए ई-स्कॉलरशिप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम में शामिल करना अपेक्षित था। 2016-17 के दौरान सहायक आयुक्त, समाज कल्याण औरंगाबाद ने 16 कॉलेजों की मैपिंग करने का एक प्रस्ताव आयुक्त, समाज कल्याण पुणे को भेजा (मार्च 2017)। तथापि, आयुक्त समाज कल्याण पुणे द्वारा मैपिंग नहीं की गई थी। परिणामत: आठ कॉलेजों में प्रवेश लिए गए 3,014 विद्यार्थियों में से 896 का पंजीकरण और ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदनों का प्रस्तुतीकरण नहीं किया जा सका और वे छात्रवृत्ति लेने से वंचित रह गए थे।
- नागपुर जिले में, 11 शैक्षिक संस्थानों में से नौ को मैप नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप इन कॉलेजों के 133 एससी विद्यार्थी छात्रवृत्ति लेने से वंचित रह गए।

पंजाब

- 18 चयनित सरकारी संस्थानों में से तीन[39] ने 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान शुल्क की प्रतिपूर्ति के कारण डीडब्ल्यूएससीबीसी द्वारा हस्तांतरित ₹2.79 लाख की छात्रवृति छात्रों में नहीं बांटी थी क्योंकि डीडब्ल्यूएससीबीसी द्वारा छात्रों के विवरण के साथ ही उनसे संबंधित वर्ष के ब्यौरे प्रदान नहीं किये थे।

- 2012-17 की अवधि के दौरान, 59 संस्थानों द्वारा दावित ₹235.70 करोड़ में से (**अनुबंध-10** में विवरण) विभाग द्वारा केवल ₹117.74 करोड़ की प्रतिपूर्ति हुई थी और ₹117.96 करोड़ की शेष राशि की प्रतिपूर्ति अभी लम्बित थी। नोडल विभाग ने बताया (अक्तूबर 2017) कि संस्थानों के दावों की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा निधि के कम निर्गम के कारण नहीं की जा सकी।

तमिलनाडु

- वीपीएमएम महिला नर्सिंग कॉलेज, विरूधनगर के सभी सात आवेदक छात्रों को पात्र होने के बावजूद बिना कोई कारण दर्ज किये 2012-17 के दौरान छात्रवृत्ति नहीं दी गयी थी (₹2.10 लाख का प्रतिपूर्तियोग्य शिक्षण शुल्क घटक)। इसके अतिरिक्त 2012-17 के दौरान, 2,156 पात्र छात्रों में से 589 छात्र जिनके आवेदन संबंधित सात[40] संस्थानों द्वारा सीएडीडब्ल्यू को भेजे गये थे, का शिक्षण शुल्क या अनुरक्षण भत्ता या फिर दोनों की ही धनराशि ₹66.49 लाख की संस्वीकृति अभिलेख पर बिना कोई कारण बताए नहीं की गयी।

---

[39] डीआईईटी एज्जोवल (होशियारपुर); डीआईईटी जालंधर; सरकारी उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय गीद्दड़बाहा (मुक्तसर)

[40] पीएसआर पॉलीटेक्निक कॉलेज विरूधनगर जिला, मेपको अभियांत्रिकी कॉलेज, रैमको प्रौद्योगिकी संस्थान, पीएसआर अभियांत्रिकी कॉलेज, विरूधनगर जिला, श्री संकर कला एवं विज्ञान कॉलेज, कांचीपुरम, माउंट जियोन अभियांत्रिकी कॉलेज, सरकारी उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय पुडुकोट्टई।

अन्य सात[41] संस्थानों में, यह पाया गया था कि सभी 924 पात्र छात्रों को पाठ्यक्रम के गलत कोड के उपयोग के कारण छात्रवृत्ति नहीं दी गयी (₹25.80 लाख का प्रतिपूर्ति योग्य शिक्षण शुल्क घटक), जबकि छात्रों ने शिक्षण शुल्क के रूप में संस्थान को ₹95.52 लाख का पहले ही भुगतान कर दिया था।

उत्तर प्रदेश

- चयनित 10 जिलों में 2014-17 के दौरान अनुमोदित ₹8.41 लाख आवेदनों में से ₹1.16 लाख छात्रों को भुगतान नहीं किए गए थे।

6.5 छात्रवृत्ति दावों की अधिक प्रतिपूर्ति

लेखापरीक्षा ने 2012-17 के दौरान तीन राज्यों **पंजाब, तमिलनाडु** और **उत्तर प्रदेश** में गलत गणना के कारण अतिरिक्त भुगतान और राज्य सरकार के आदेशों तथा योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के प्रति ₹1.88 लाख विद्यार्थियों को ₹49.67 करोड़ की राशि की छात्रवृत्ति के अधिक भुगतान के मामले पाए थे, जिसको **तालिका-9** में तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका-9: छात्रवृत्ति दावों की अधिक प्रतिपूर्ति के विवरण

छात्रवृत्ति घटक	विद्यार्थियों की संख्या	अधिक भुगतान की राशि (₹ लाख में)	टिप्पणियाँ
पंजाब			
अध्ययन यात्रा प्रभार (₹1600 प्रति वर्ष प्रति छात्र)	769 संस्थानों के 49,422 विद्यार्थी (**अनुबंध-11** में ब्यौरे)	2,509.00	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2017) कि अधिक भुगतान की गई राशि को अगले दावे में समायोजित किया जाएगा
पुस्तक भत्ता (केवल दूरस्थ शिक्षा छात्रों के लिए ग्राह्य)	नर्सिंग, चिकित्सा तथा पैराचिकित्सा कॉलेजों के 4,421 नियमित विद्यार्थी (**अनुबंध-12** में विवरण)	54.55	

[41] राजपलायम राजु कॉलेज, अय्य नदर जानकी अम्मल कॉलेज, मदुरा कॉलेज, मदुरै, अरूल अनंदर कॉलेज, मदुरै, वेल्लाइचानी नदर कॉलेज, मदुरै, पीएसजी कला एवं विज्ञान कॉलेज कोयंबटूर, श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय कला एवं विज्ञान कॉलेज।

छात्रवृत्ति घटक	विद्यार्थियों की संख्या	अधिक भुगतान की राशि (₹ लाख में)	टिप्पणियाँ
अनुरक्षण भत्ता (छात्रों को मुफ्त छात्रावास तथा आवास का लाभ उठाने के लिए एक तिहाई छात्रावास के दर पर देय)	2014-17 से संबंधित छ:[42] विद्यालयों के 2,518 विद्यार्थी	13.08	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2017) कि ऐसे मामलों में वसूली कठिन है लेकिन कार्यान्वयन विभाग को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।
छात्रवृत्ति दावे	दो संस्थानों[43] के 1500 विद्यार्थी	35.29	
तमिलनाडु			
अनुरक्षण भत्ता	पांच संस्थानों[44] के 62 विद्य।र्थी	1.27	अनुरक्षण भत्ता मुफ्त छात्रावास तथा आवास का लाभ प्राप्त करने के लिए वृत्ति-छात्रों के एक तिहाई छात्रावासियों की दर से देय होता है।
अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क	मेपको शलैंक इंजीनियरिंग कॉलेज, विरूद्धनगर	2.00	राज्य सरकार द्वारा इस तथ्य, कि 2012-13 की अवधि के दौरान ये पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त नहीं थे, के बावजूद मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के लिए लागू दरों के अनुसार शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की गई।

[42] छ: सरकारी सीनियर सैकेण्डरी निवासीय विद्यालिय (जीएसएसआरएस) (i) जीएसएसआरएस, अमृतसर, (ii) जीएसएसआएस, भटिंडा, (iii) जीएसएसआरएस, जालंधर (विद्यालय 2016-17 में होशियारपुर स्थानांतरित हो गया), (iv) जीएसएसआरएस, लुधियाना, (v) जीएसएसआरएस मोहाली तथा (vi) जीएसएसआरएस, पटियाला थे। ₹32.77 लाख (एक तिहाई) की ग्राह्य राशि के प्रति ₹98.30 लाख के दावे किए गए जिसके परिणामस्वरूप ₹65.53 लाख के दावे अधिक प्रस्तुत किए गए। इस राशि में से 2014-15 के लिए ₹13.08 लाख के अनुरक्षण भत्तों को पहले ही वितरित कर दिया गया था।

[43] डीएवी कॉलेज जालंधर तथा आर्दश पोलीटेक्निक कॉलेज, धामथाल पटियाला।

[44] सरकारी महिला कला और विज्ञान कॉलेज (पुडुकोटाई), मदुरई कामराज विश्वविद्यालय (मदुरई), मदुरई कॉलेज (मदुरई), वैल्लाइ केमी नदर कॉलेज (मदुरई), मदुरै कॉन्स्टीट्यैंट कॉलेज, सत्तूर (विरूद्धनगर)।

छात्रवृत्ति घटक	विद्यार्थियों की संख्या	अधिक भुगतान की राशि (₹ लाख में)	टिप्पणियाँ
उत्तर प्रदेश			
अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क	1,29,618 विद्यार्थी	2,352.00[45]	राज्य ने स्नातक पाठ्क्रमों (बीए, बीएससी व बी काम के लिए सभी राज्य विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध कॉलेजों हेतु प्रति वर्ष अधिकतम ₹5,000 पर शुल्क निर्धारित करने के अनुदेश जारी किए (जुलाई 2003)। उसने आगे यह अनुबंद्ध किया (सितम्बर 2014) कि शुल्क की प्रतिपूर्ति संरकार द्वारा नियत दरों पर की जाएगी।
जोड़	**1,87,581**	**4,967.19**	

6.6 लेखापरीक्षा सारांश

लेखापरीक्षा निष्कर्ष कार्यान्वयन प्राधिकरणों तथा लाइन विभागों की दस्तावेजों का सत्यापन करने में उचित परिश्रम के अभाव तथा आंतरिक नियंत्रण एवं जांच की कमजोरियों के संकेतक थे। प्रमाणपत्रों तथा/अन्य विवरणों जो ऑनलाइन, विभागीय अभिलेखों तथा प्रत्यक्ष आवेदन पत्रों में उपलब्ध थे के बीच बेमेलता से योजना के अंतर्गत अपात्र विद्यार्थियों द्वारा लाभ उठाने का जोखिम हो सकता है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में छात्रवृत्ति के अनियमित भुगतान की वित्तीय विपक्षा, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन प्राधिकरणों की अक्षमता के कारण पात्र लाभार्थियों की कम कवरेज/कवरेज के लिए इन्कार तथा पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में गलत गणना के कारण ₹171.40 करोड राशि की थी। ऊपर उजागर किए गए कारणों से निम्नलिखित जोखिम हो सकते हैं:

[45] केवल उन अभिलेखों पर विचार किया गया था जहाँ विशेषीकृत बीए/बीएससी/बी कॉम पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क ₹5,001 तथा ₹10,000 के बीच लिया गया था।

कारण	शामिल जोखिम
प्रमाणपत्रों तथा/ या अन्य विवरण के बीच जो ऑनलाइन विभागीय अभिलेखों तथा प्रत्यक्ष आवेदनों में उपलब्ध है के बीच बेमेलता **अधूरे आवेदन पत्रों का अभिलेख में होना।**	डीएसडब्ल्यूओ/विद्यार्थी/संस्थान के भाग पर किसी कपटपूर्ण आशय से उपलक्षित रह सकता है जिसका परिणाम अपात्र विद्यार्थियों का योजना का लाभ प्राप्त करने में हुआ।
नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि के गलत विवरण का प्रस्तुतीकरण	अपात्र आवेदकों का येाजना का लाभ प्राप्त करना।
कार्यान्वयन प्राधिकरणों द्वारा छात्रवृत्ति दावों की गलत संवीक्षा	पात्र विद्यार्थियों का लाभ की कम प्रतिपूर्ति करना/ इन्कार करना। निर्धारित प्रतिमानों से अधिक छात्रवृत्ति को अतिरिक्त भुगतान

***

आईटी प्रणाली स्तर पर नियंत्रणों की कमी

एक कम्प्यूटर प्रणाली में आईटी नियंत्रण सभी मैनुअल एवं प्रोग्राम विधि, नीतियां तथा प्रक्रियाएं है जो उपक्रम की परिसम्पत्तियों की संरक्षा, उसके अभिलेखों की यर्थाथता तथा विश्वसनीयता तथा अपनाए गए मानकों के संचालनात्मक अनुपालन को सुनिश्चित करती हैं। हमने पाया कि राज्यों में छात्रवृत्ति का संवितरण कर रही आईटी प्रणालियां (वेब पोर्टल) आमतौर पर, इनपुट, संसाधन तथा वैधता नियत्रण में त्रुटिपूर्ण थी जैसी नीचे चर्चा की गई हैः

7.1 राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान न होने से राज्य पोर्टलों के माध्यम से संवितरण

2016-17 के दौरान, मंत्रालय ने अनुसूचित जाति छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी) को संघ शासित क्षेत्रों हेतु ट्रायल आधार पर 'राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल[46] (एनएसपी) में शामिल किया। तथापि, पीएमएस-एससी के भुगतान को 2016-17 के दौरान संवितरण नहीं किया जा सका क्योंकि (i) एनएसपी यूटी के कोषागारों के साथ समरूप होने में समर्थ नहीं थी तथा (ii) यूटी नोडल/कल्याण कार्यालय द्वारा लाभार्थी डाटा हेतु डिजीटल हस्ताक्षर को शामिल करने में कमी थी।

तब पीएमएस-एससी को राज्य पोर्टलों के माध्यम से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया था। सभी राज्य/यूटी प्रशासनों को यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों को छात्रवृत्ति प्रत्यक्ष लाभ अतंरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थी के नाम पर खाता खोलकर डाकघरों/बैक खातों के माध्यम से अदा की गई है तथा लाभार्थियों के बैंक खातों में आधार संख्या दर्ज है। पांच चयनित राज्यों में इन वेब पोर्टलो से डाटाबेसों का विश्लेषण किया गया तथा पाई गई कमियों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई हैः

---

[46] http:scholarships.gov.in/ मंत्रालय ने प्रारम्भिक आधार पर 1 जुलाई 2015 को एनएसपी को प्रारम्भ किया जिसमें दो अन्य योजनाएं अर्थात् (i) 'एससी छात्रों हेतु पूर्व-दशम छात्रवृत्ति' (ii) 'एससी छात्रो को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा योजना' को कार्यान्वयन हेतु प्रारम्भ किया गया था।

7.2 राज्य वेब पोर्टलो पर त्रूटिपूर्ण आवेदन नियंत्रण

आवेदन नियंत्रणों का व्यक्तिगत लेन-देनों पर प्रत्यक्ष प्रभाव है तथा यह आश्वासन प्रदान करते हैं कि सभी लेन-देन वैध, प्राधिकृत, पूर्ण सही तथा दर्ज किए गए है। आवेदनों को आगे इनपुट नियंत्रण तथा संसाधन नियंत्रण में उप-विभाजित किया जाता है इनपुट नियंत्रण सुनिश्चित करते है कि प्रक्रियाएं तथा नियंत्रण उचित रूप से गारंटी देते है कि संसाधन हेतु प्राप्त डाटा उचित, पूर्ण, पहले संसाधित नहीं किया गया, यर्थात् उचित से प्राधिकृत है तथा इसे उचित प्रकार से तथा दोहराए बिना दर्ज किया गया है। दूसरी ओर, पर्याप्त संसाधन नियंत्रण इनपुट तथा सृजित डाटा के पूर्ण तथा सही संसाधन को सुनिश्चित करते हैं।

छात्रवृत्ति का संवितरण कर रहे राज्य वेब पोर्टलों की आईटी लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि प्रणाली न केवल जंक/दोहरे डाटा को स्वीकार कर रही थी बल्कि निम्नानुसार छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु इसको संसाधित भी कर रही थी।

(ए) दोहरी बैंक खाता संख्याओं वाले डाटा के संबंध में छात्रवृत्ति का भुगतान

उत्तर प्रदेश में, लेखापरीक्षा द्वारा 47.49 लाख छात्रों के डाटा विश्लेषण (2012-17) ने उजागर किया कि 2012-15 से संबंधित 1.62 लाख छात्रों के आवेदनों में बैक खाता संख्याओं को दोहराया जा रहा है जिसमें ₹118.45 करोड़ का छात्रवृत्ति भुगतान शामिल था। अन्य लोगो के बैंक खाते में छात्रवृत्ति का निर्गम न केवल नियमावली के उल्लंघन में बल्कि इसमें वास्तविक लाभार्थी को छात्रवृत्ति के गैर-भुगतान का जोखिम भी शामिल है।

(बी) कॉलेजों में विभिन्न छात्र आईडी के अधीन एक ही शैक्षणिक वर्ष में एक ही छात्र को एक बार से अधिक छात्रवृत्ति राशि का भुगतान

पंजाब में डाटा विश्लेषण (2015-17 से संबंधित 6,29,668 मामलें) से पता चला कि 1,709 तथा 1,564 आधार संख्याओं का ₹6.82 करोड़ तथा ₹8.81 करोड़ की छात्रवृत्ति वाले क्रमश: 3,428 तथा 3,163 मामलों में उपयोग किया गया था जो दर्शाता है कि एक आधार संख्या को प्रणाली में एक बार से अधिक दर्ज किया गया था जो छात्रवृत्ति का दावा करने के कपटपूर्ण माध्यम को दर्शाता है।

तमिलनाडु में डाटा विश्लेषण ने वर्ष 2012-13 से 2016-17 हेतु एक ही छात्र को एक ही पाठ्यक्रम हेतु एक ही शैक्षणिक वर्ष में एक बार से अधिक छात्रवृति के संवितरण को प्रकट[47] किया। पूरे राज्य में, 450 छात्रों (433 छात्र-दो बार, 12 छात्र- तीन बार, पांच छात्र- चार बार) ने वर्ष 2012-13 से 2016-17 हेतु विभिन्न छात्र आईडी के साथ एक ही पाठ्यक्रम हेतु एक शैक्षणिक वर्ष में एक बार से अधिक छात्रवृत्ति का दावा किया था जिसका परिणाम ₹22.17 लाख के अधिक भुगतान में हुआ।

एक ही शैक्षणिक वर्ष तथा पाठ्यक्रम वर्ष में एक ही छात्र की एक बार से अधिक प्रविष्टि को रद्द करने हेतु एप्लीकेशन साफ्टवेयर में इनपुट वैधता नियंत्रण की स्पष्ट रूप से कमी थी जिसका परिणाम एक ही छात्र की छात्रवृत्ति के बहु-संवितरण में हुआ।

(सी) एक ही जाति प्रमाणपत्र संख्या हाई स्कूल रोल नम्बर पर बहु भुगतान

उत्तर प्रदेश में, हाईस्कूल रोल नम्बर, जाति प्रमाणपत्र संख्या, बैंक खाता संख्या का पोर्टल में छात्रों की विशिष्ट पहचान हेतु उपयोग किया जाता है। डाटा विश्लेषण ने प्रकट किया कि 47.49 लाख मामलों में से -

- 1.76 लाख छात्रो को 2012-17 के दौरान एक ही जाति प्रमाणपत्र संख्या के आधार पर छात्रवृत्ति के रूप में ₹233.55 करोड़ अदा किए गए थे।
- एक ही हाईस्कूल रोल नम्बर वाले छात्रों के 34,652 मामलें जिन्हे 2012-17 के दौरान ₹59.79 करोड़ की छात्रवृत्ति अदा की गई थी।
- 13,303 मामलों में, छात्रो ने एक ही जाति प्रमाणपत्र तथा एक ही बोर्ड रोल नंबर के आधार पर 2012-17 के दौरान ₹27.48 करोड़ की छात्रवृत्तियां प्राप्त की।

दिलचस्प रूप से, उपर्युक्त तीन मामलों में 1,566 छात्रों (2016-17 से सम्बन्धित) को शामिल किया गया था जिनका एक ही जाति प्रमाणपत्र

[47] मापदण्ड: वही संस्थान, वही शैक्षणिक वर्ष, वही पाठ्यक्रम वर्ष, उसी छात्र का नाम, वही माता-पिता का नाम तथा वही- डीओबी- स्त्रोत: टी-छात्र- छात्रवृति- विवरण तथा एम-छात्र-विवरण

तथा/अथवा बोर्ड रोल नंबर होने के बावजूद प्रणाली (सक्षम पोर्टल) द्वारा 'सही'[48] डाटा के रूप में चयन किया गया था। जिसने प्रणाली, संस्थान तथा राज्य समाज कल्याण विभाग द्वारा संवीक्षा की विफलता को दर्शाया। यह इस तथ्य के बावजूद था कि सक्षम पोर्टल को कड़ी संवीक्षा हेतु नियत्रणों को शामिल करके 2014-15 में सुधारा गया था।

(डी) उन आवेदनों की स्वीकृति जहां माता-पिता की आय निर्धारित सीमा से अधिक थी

दो राज्यों **तमिलनाडु** तथा **उत्तर प्रदेश** में प्रणाली न केवल अपात्र छात्रों अर्थात् जिनके माता-पिता की आय निर्धारित सीमा से अधिक थी से आवेदनों को स्वीकार कर रही थी बल्कि छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु इन आवेदनों को संसाधित भी कर रही थी।

तमिलनाडु में सॉफ्टवेयर में इनपुट प्रक्रिया विफलता के कारण 1,577 अपात्र छात्रों जिनके माता-पिता की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक थी, के आवेदनों को संसाधित किया गया था तथा वर्ष 2012-13 से 2016-17 हेतु छात्रवृत्ति के रूप में ₹43.54 लाख का ईसीएस के माध्यम से भुगतान किया गया था।

उत्तर प्रदेश में 57 मामलों में 2012-13 तथा 2015-16 के दौरान छात्रों को उनके माता-पिता की आय ₹2.00 लाख की निर्धारित[49] सीमा से अधिक होने के बावजूद ₹23.45 लाख की छात्रवृत्ति अदा की गई थी।

(ई) अनुरक्षण भत्ते का अधिक भुगतान

तमिलनाडु में छात्रवृत्ति पोर्टल की लेखापरीक्षा ने भी प्रकट किया कि वर्ष 2013-14 से 2016-17 हेतु अनुरक्षण भत्ते को 689 छात्रावासी तथा 1022 दिवस छात्रों को एक शैक्षणिक वर्ष में 12 महीनों से अधिक के लिए क्रमशः कुल ₹10.2 लाख तथा ₹9.44 लाख तक परिकलित तथा अदा किया गया था।

---

[48] डाटा जिसकी संबंधित विभागों की वेबसाईट से प्राप्त विभिन्न सूचना के आधार पर ऑनलाईन जांच की गई है तथा 'सही' डाटा के रूप में वर्गीकृत करना सही पाया गया है। इस सही डाटा के संबंध में छात्रवृत्ति से अभिलेख पर पर्याप्त औचित्य के बिना इंकार नहीं किया जा सकता है। शेष डाटा को 'संदिग्ध' डाटा के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इन मामलों में छात्रवृत्ति दर्ज किए जाने वाले पर्याप्त औचित्य के पश्चात् ही अदा की जा सकती है।

[49] उत्तर प्रदेश में माता-पिता की आय सीमा में वृद्धि को कार्यान्वित नहीं किया है जैसाकि पैरा सं. 5.2.1 में चर्चा की गई है।

(एफ) प्रणालियों द्वारा गलत डाटा की स्वीकृति

लेखापरीक्षा ने कमियों जैसे कि प्रणाली द्वारा गलत डाटा की स्वीकृति तथा अन्य इनपुट नियंत्रणों का अभाव आदि को पाया गया जिसका परिणाम **महाराष्ट्र**, **पंजाब** तथा **तमिलनाडु** राज्य पोर्टल में एक ही बैंक खाता संख्या पर कई छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति के आहरण, छात्र की यथार्थता के जांच के बिना छात्रवृत्ति के संवितरण आदि में हुआ (विवरण **अनुबंध 13** में)।

उपरोक्त विसगंतियों ने इनपुट तथा संसाधन नियंत्रणों की कमी को दर्शाया क्योंकि प्रणाली ने प्रारम्भिक डाटा प्रविष्टि के समय अमान्य तथा दोहरी प्रविष्टियों का संकेत नहीं किया था जो योजना के अंतर्गत अपात्र छात्रों को लाभ प्रदान किए जाने के जोखिम को उजागर करता है। आवेदन सॉफ्टवेयर में व्यावसायिक नियम की मैपिंग न होने का आगे परिणाम अपात्र छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि के संवितरण में हुआ।

7.3 सामान्य नियंत्रणों का अभाव

सामान्य नियंत्रणों में प्रणाली सॉफ्टवेयर अभिग्रहण एवं अनुरक्षण, पहुंच सुरक्षा तथा अनुप्रयोग प्रणाली विकास पर नियंत्रण शामिल हैं। वह ऐसा वातावरण सृजित करते हैं जिसमें आईटी एप्लीकेशन तथा संबंधित नियत्रंण कार्य करते हैं। मुख्य सामान्य नियंत्रणों में अन्य बातों के साथ साथ संगठनात्मक तथा प्रबंधन नियंत्रण, युक्तियुक्त पंहुच नियंत्रण, कार्यक्रम परिवर्तन नियंत्रण आदि शामिल हैं।

कर्नाटक में, लेखापरीक्षा ने पाया कि महत्वपूर्ण सूचना अर्थात् छात्रों की यूजर्स आईडी तथा डिफॉल्ट पासवर्ड को पोर्टल के होम पेज पर प्रदर्शित नहीं किया गया था। चूंकि यह सूचना प्रणाली में पंहुच प्राप्त करने हेतु अपेक्षित है इसलिए यह अन्य संबंधित जोखिमों के अतिरिक्त प्रतिरूपण द्वारा अप्राधिकृत पहुंच का कारण बन सकती है। विभाग ने बताया (दिसंबर 2017) कि एनआईसी ने उसके बाद से मामले को सुधारा है।

पंजाब में, लाईन विभाग अर्थात् तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा आदि संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु अदा किए जाने वाले शुल्कों की राशि को सीमित कर रहे थे। तथापि, छात्रवृत्ति के संवितरण हेतु राज्य पोर्टल में कैपिंग को नहीं दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, जैसा पहले ही पैराग्राफ सं.5.4 में उल्लेख किया गया है कि

वेब पोर्टल में उन कॉलम की कमी थी जो उन मामलों की पहचान हेतु अनिवार्य थे जहां शुल्क की संस्थानों के स्थान पर छात्रों को प्रतिपूर्ति की जानी थी।

कर्नाटक तथा **उत्तर प्रदेश** में लेखापरीक्षा ने पाया कि छात्रवृत्ति पोर्टलों में सर्वर के साथ यूजर्स की परस्पर एक एन्क्रिप्ट न किए गए चैनल अर्थात् एचटीटीपीएस के स्थान पर एचटीटीपी[50] पर थी जो स्थानांरित डाटा की गोपनीयता तथा समग्रता की गारंटी नहीं देता है।

7.4 पोर्टल का आंशिक संचालन

महाराष्ट्र में छात्रवृत्ति पोर्टल को पहले एक निजी कम्पनी के माध्यम से विकसित किया गया था। चूंकि निजी कम्पनी के साथ अनुबंध अप्रैल 2016 में समाप्त हो रहा था इसलिए राज्य ने एक वर्ष के लिए अर्थात् अप्रैल 2017 तक निजी कम्पनी के साथ अनुबंध को बढ़ाया तथा साथ ही इसे महाडीबीटी[51] के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया। तथापि सूचना प्रौघोगिकी विभाग (महाराष्ट्र) ने इसकी अनुमति को इंकार किया (मई 2017) जिसका परिणाम नवम्बर 2017 से पोर्टल के गैर-संचालन में हुआ। इसका परिणाम इस अवधि के छात्रवृत्ति दावों तथा पहले के वर्षों के छात्रवृत्ति के बकाया को दर्शाने वाले दावो के गैर-निपटान में हुआ।

7.5 लेखापरीक्षा सारांश

मंत्रालय तकनीकी कारणों से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से पीएमएसएससी को कार्यान्वित करने में समर्थ नहीं था तथा इसे राज्य पोर्टलों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। तथापि, राज्य पोर्टलों में पहुंच सुरक्षा तथा यह आश्वासन करने कि लेन-देन, वैध प्राधिकृत, पूर्ण तथा उचित है, को सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित एप्लीकेशनों तथा सामान्य नियंत्रणों दोनों की कमी थी। पंजाब तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में वेब पोर्टल प्रणालियां प्रारम्भिक डाटा प्रविष्टि के समय अमान्य तथा दोहरी प्रविष्टियों को प्रतिबंधित नहीं कर रही थीं जो योजना के अंतर्गत अपात्र छात्रों को लाभ प्रदान किए जाने के जोखिम को

---

[50] हायपर टेक्स्ट ट्रासंफर प्रोटोकॉल सिक्योर (एचटीटीपीएस) तथा हायपर टेक्स्ट ट्रासंफर प्रोटोकॉल (एचटीटीपी)

[51] अपने आईटी विभाग द्वारा विकसित किया गया राज्य का डीबीटी पोर्टल

उजागर करता है। लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित ₹455.98 करोड़ की वित्तीय विवक्षा के साथ राज्य पोर्टलों द्वारा सृजित डाटा में विसगतियों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय के साथ साथ राज्य सरकारों को अनियमित भुगतान तथा भ्रष्टाचार के जोखिम को दूर करने हेतु सभी मामलों की एक व्यापक जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। यह संघटक निम्नलिखित जोखिम उत्पन्न कर सकते हैः

कारक	शामिल जोखिम
पहचान क्षेत्रों में दोहरे डाटा की स्वीकृति	अस्वीकार्य दावें संसाधित किए जा सकते है अपात्र छात्र न केवल योजना के अनियमित रूप से लाभ बल्कि भावी रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं छात्रवृत्ति का कपटपूर्ण आहरण/छात्रवृत्ति भुगतान प्रणाली से जोड़-तोड़ राज्य राजकोष को हानि का कारण बन सकता है।
अमान्य/जंक डाटा की स्वीकृति	प्रणाली दोहरे डाटा को रोकने में समर्थ नहीं थी जिसका परिणाम एक ही छात्र द्वारा छात्रवृत्तियों के अनेक आहरण में हो सकता है।
अतिसंवेदी सूचना का प्रदर्शन	प्रणाली में अप्राधिकृत पहुंच जो आगे छात्रवृत्तियों के कपटपूर्ण आहरण का कारण बन सकती है।
असुरक्षित माध्यम से संचार	असुरक्षित माध्यम स्थानांतरित डाटा की विश्वसनीयता तथा समग्रता की गारंटी नहीं देता है। एप्लीकेशन बॉयोमैट्रिक सूचना के अनावरण से असुरक्षित[52] है।

***

[52] मुक्त वेब एप्लीकेशन सुरक्षा परियोजना (ओडब्ल्यूएएसपी) शीर्ष 10-2013 ए6 संवेदनशील डाटा अनावरण

अप्रभावी मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

मॉनीटरिंग और मूल्यांकन किसी भी योजना का अभिन्न अंग है चूंकि यह प्रशासनिक मंत्रालय को योजना के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं की पहचान करने में मद्द करता है ताकि इसे सुधारने के लिए वह आवश्यक निदान कर सके।

8.1 राज्य एवं जिले स्तर पर आंतरिक नियंत्रण

उत्तर प्रदेश को छोड़कर आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी, जहाँ आंतरिक लेखापरीक्षा के रूप में आंतरिक नियंत्रण योजना के लेखापरीक्षा संबंधी कार्य के निष्पादन में कमजोर था। समाज कल्याण विभाग निदेशालय में आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रकोष्ठ ने 2012-17 के दौरान ₹9.48 करोड़ के अनियमित निर्गम को इंगित करते हुए विभिन्न जिला समाज कल्याण कार्यालयों की लेखापरीक्षा के 18 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए थे लेकिन नवम्बर 2017 तक राशि को वसूल नहीं किया जा सका।

8.2 योजना के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग

8.2.1 त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट

मंत्रालय ने अगस्त 2009 में, सभी राज्यों/यूटी को प्रत्येक तिमाही (प्रत्येक वर्ष अप्रैल जून से आरंभ होने वाले) के अगले माह की 30 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था और सितम्बर 2015 एवं जून 2016 में इन निर्देशों को दुहराया था। हालांकि, राज्य त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों को नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं कर रहे है।

8.2.2 शैक्षिक संस्थानों का वार्षिक निरीक्षण

मंत्रालय ने सभी राज्यों/यूटी को भारत सरकार में वर्ग ए अधिकारी के स्तर के राज्य सरकारी अधिकारी द्वारा शैक्षिक संस्थानों को वार्षिक निरीक्षण सुनिश्चित करने और सत्यापन के बाद रद्द किये गये संस्थानों की संख्या सूचित करने के लिए कहा (सितम्बर 2015)।

पंजाब तथा **कर्नाटक** में 2012-17 के दौरान संस्थानों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया। **महाराष्ट्र** में, 2012-17 के दौरान चयनित नौ जिलों में से पांच[53] जिलों में कोई भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया। अन्य चार[54] जिलों में, निरीक्षण में 67 से 94 प्रतिशत के बीच की कमी थी। समाज कल्याण आयुक्त ने बताया (नवम्बर 2017) कि मानवशक्ति प्रतिबंधों के कारण प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कॉलेज का निरीक्षण करना असंभव था।

तमिलनाडु में, विरूधनगर जिले, जहाँ 98 प्रतिशत की कमी[55] थी, के अतिरिक्त नमूना जांच किए गए आठ जिलों में 2014-15 से 2016-17 के दौरान कोई निरीक्षण नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश में, राज्य सरकार ने अनुबंध किया कि मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी तीन मामलों में अर्थात् (i) उनके संस्वीकृत सीटों से 30 प्रतिशत से अधिक एससी विद्यार्थियों को प्रवेश देने वाले निजी संस्थान, (ii) ₹1 करोड़ या इससे अधिक फीस प्रतिपूर्ति की मांग करने वाले संस्थान और (iii) यादृच्छिक रूप से समिति के विवेक पर, वार्षिक निरीक्षण जिला स्तर मॉनीटरिंग तथा निरीक्षण समिति द्वारा किया जाएगा। चयनित 10 जिलों में उक्त समिति का गठन नहीं किया गया था तथा इसलिए निरीक्षण नहीं किए गए थे।

8.3 राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र

योजना दिशानिर्देश (दिसम्बर 2010 से लागू) में यह व्यवस्था है कि एससी/ओबीसी छात्रों के शिकायतों को शीघ्र निवारण सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य, राज्य स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारियों को पदनामित करेंगे। हालांकि, ऐसे शिकायत निवारण तंत्र मौजूद नहीं थे। जिला स्तर या राज्य स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई थी। **तमिलनाडु** में, आदि द्रविदर कल्याण निदेशक को परिवाद/शिकायतें लिखी गई थी तथा कार्रवाई नियमों के अनुसार की गई बताई गई थी। **उत्तर प्रदेश** में, प्राप्त तथा सम्बोधित की गई शिकायतों की वास्तविक संख्या लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। ऑनलाइन पोर्टल में, ऑनलाईन शिकायत निवारण प्रणाली का कोई प्रावधान नहीं था।

---

[53] अहमदनगर, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर तथा अमरावती

[54] नागपुर (88 प्रतिशत), औरंगाबाद (67 प्रतिशत), ठाणे (94 प्रतिशत) तथा नासिक (90 प्रतिशत)

[55] 2012-17 के दौरान कुल 1185 कॉलेजों में से 2016-17 में केवल 23 संस्थानों का निरीक्षण किया गया।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि अधिकतर राज्य, जिला समाज कल्याण कार्यालय तथा प्रधान सचिव (एसडब्ल्यू) कार्यालय के स्तर पर विद्यार्थियों की शिकायतों का निवारण कर रहे हैं जो व्यक्तिगत हित को प्रभावित कर सकता है क्योंकि शिकायतें जिला समाज कल्याण कार्यालय के विरूद्ध भी हो सकती हैं।

8.4 मंत्रालय स्तर पर शिकायतों का निवारण

मंत्रालय ने भी **उत्तर प्रदेश** तथा **पंजाब** में योजना के कार्यान्वयन में अनाचार के संबंध में व्यक्तियों, विद्यार्थियों, विद्यार्थी संघों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से शिकायतें प्राप्त कीं। इन शिकायतों/रिपोर्टों को आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्यों को अग्रेषित किया तथा दिसम्बर 2016 तथा जुलाई 2017 में अनुस्मारक जारी किए। तथापि, इन शिकायतों/रिपोर्टों के संबंध में राज्यों से कोई कार्रवाई रिपोर्ट मंत्रालय के अभिलेख में नहीं पाई गई।

8.5 व्यावसायिक पाइलट लाइसेंस पाठ्यक्रम के लिए अपर्याप्त मॉनीटरिंग

डीजीसीए ने मई 2014 में मंत्रालय को उनके द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्तियाँ को मॉनीटर करने का तंत्र विकसित करने को कहा था जिससे कि लोक निधियों का फ्लाईंग प्रशिक्षण संगठनों द्वारा दुरूपयोग न किया जा सके तथा लाभ वास्तविक उम्मीद्वरों को प्रदान किया जाए। उन्होंने आगे आवेदक द्वारा वास्तव में लिए गए प्रशिक्षण की जांच के आधार पर चरणबद्ध रूप से छात्रवृत्ति राशि के संवितरण को आगे-पीछे करने की सलाह दी। लेखापरीक्षा ने सभी 114 मामलों के संबंध में सीपीएल प्रदान किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु डीजीसीए से इस सूचना की पुष्टि की। 2012-17 के दौरान संस्वीकृत 114 मामलों से डीजीसीए ₹12.76 करोड़ की संस्वीकृत छात्रवृत्ति वाले केवल 41 आवेदकों की स्थिति की पुष्टि ही कर पाया।

यह पाया गया था कि इन 41 छात्रों में से,

(i) केवल आठ ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण किया है जबकि अन्य 24 आज तक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है;

(ii) चार छात्र, जिन्हे ₹1.25 करोड़ की छात्रवृत्ति संस्वीकृति की गई, ने पाठ्यक्रम को छोड़ दिया/अलग हो गए थे;

(iii) तीन छात्र, जिन्हे ₹1 करोड़ की छात्रवृत्ति संस्वीकृत की गई थी, प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं थे;

(iv) हरियाणा का एक छात्र, जिसे ₹35.50 लाख की छात्रवृत्ति संस्वीकृत की गई थी जिसमें से ₹3.59 लाख का व्यय किया गया था, को कपटपूर्ण गतिविधि के कारण निष्काषित कर दिया गया; तथा

(v) बिहार के एक अन्य छात्र (जिसे ₹34.79 लाख की छात्रवृत्ति संस्वीकृति की गई) के संबंध में विवरण फ्लाईंग संस्थान के पास उपलब्ध नहीं है।

पांच चयनित राज्यों में, पीएमएस के अंतर्गत सीपीएल हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे उम्मीदवारो के प्रदर्शन को मॉनीटर करने का कोई तंत्र नहीं है। **महाराष्ट्र** में, 42 उम्मीदवारों, जिन्होने छात्रवृत्ति का लाभ उठाया में से केवल एक उम्मीदवार, जिसने सीपीएल प्रशिक्षण पूर्ण किया था, को रोजगार मिला था। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों का विवरण, जिन्होने अपना सीपीएल प्रशिक्षण पूर्ण किया था, दर्ज नहीं थे।

इस प्रकार राज्यों के साथ-साथ मंत्रालय भी उन छात्रों की संख्या से अवगत नहीं हैं जिन्होने प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया है तथा लाभकारी रोजगार पाया है। मंत्रालय सीपीएल पाठ्यक्रमों हेतु आवश्यक मॉनीटरिंग तंत्र की स्थापना के बिना ही इस पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति के पर्याप्त अनुदान को अनुमोदित कर रहा है।

8.6 योजना का मूल्यांकन

योजना आयोग द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के पुनर्गठन पर समिति ने अपनी रिपोर्ट में (सितम्बर 2011) सभी सीएसएस का नियमित आधार पर स्वतंत्र मूल्यांकन करने पर बल दिया था क्योंकि यह पाया गया था कि योजना के डिजाइन में अंतर तथा राज्यों के बीच स्वामित्व के अभाव के कारण सामान्यत: मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन खराब था तथा इन योजनाओं के परिणामों या प्रभाव पर कोई बल नहीं दिया जा रहा था।

XIIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना का देशव्यापी व्यापक मूल्यांकन नहीं किया गया था। योजना के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट परिणाम सूचक उपलब्ध नहीं थे।

2012-17 के दौरान चार* मूल्यांकन अध्ययन किए गये थे जिनमें (i) छात्रवृत्ति के आवेदनों की प्राप्ति हेतु किसी अंतिम तिथि का अभाव, (ii) सरकार में एक ही पाठ्यक्रम हेतु शुल्क की दरों में व्यापक अंतर (iii) संस्थानों में सुस्पष्ट उपस्थिति दर्ज करने की प्रणाली का अभाव, (iv) अधिकतर संस्थानों में ड्रॉप-आऊट की अधिक प्रतिशतता आदि पाए गए थे। मंत्रालय ने इन निरीक्षण रिपोर्टों के निष्कर्षों तथा अनुशंसाओं को अक्तूबर 2016 में उपचारी कार्रवाई हेतु इन राज्यों को भेजा गया था। तथापि, इन निष्कर्षों पर राज्यों से कोई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2018) कि योजना के संशोधित दिशानिर्देशों सीसीईए के अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

8.7 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के बाद तक योजना और उसकी निरंतरता की परिणाम समीक्षा

वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों/विभागों को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी चल रही योजनाओं को जारी रखने के अनुदेश परिचालित किए (अगस्त 2016 तथा फरवरी 2017) जिनमें उनको 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक चल रही योजनाओं की परिणाम समीक्षा करने तथा उनको आगे जारी रखने तथा योजना को 14वें वित्त आयोग (एफएफसी) की अवधि या इसके पश्चात पहले ही इसके साथ समाप्त न कर दिया हो, उसको मूल्यांकन तथा अनुमोदन हेतु पुन: प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। मूल्यांकन रिपोर्ट को मार्च 2017 के अंत तक प्रस्तुत किया जाना था।

हमने पाया कि मंत्रालय ने, योजना को 12वीं योजना अवधि के पश्चात उसको जारी रखने के लिए कोई परिणाम समीक्षा नहीं की थी। बारहवीं योजना अवधि के अनुसार योजना मार्च 2017 तक परिचालित थी। मंत्रालय ने 2016-17 तक संचित बकायों का निपटान करने के लिए 2017-18 के दौरान राज्यों/यूटी को केन्द्रीय सहायता जारी की।

---

* (1) नीति आयोग तथा महाराष्ट्र, पंजाब तथा तेलगाना मंत्रालय के संयुक्त मूल्यांकन - अक्तूबर-नवम्बर 2015, (2) मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में 33 शैक्षिक संस्थानों का सर्वेक्षण/निरीक्षण (जुलाई 2016), (3) मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र में 16 शैक्षिक संस्थानों का सर्वेक्षण/निरीक्षण-(जुलाई 2016) तथा (4) मंत्रालय द्वारा ओडिशा में 14 शैक्षिक संस्थानों का सर्वेक्षण/निरीक्षण (अगस्त 2016)

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2018) कि संशोधन/जारी रखने का प्रस्ताव सीसीईए के अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है और यह कि योजना का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन करना भी प्रक्रियाधीन है।

8.8 लेखापरीक्षा सारांश

प्रभावी मानीटरिंग और शिकायत निवारण हेतु संस्थागत तंत्र या तो मौजूद नहीं थे या उनका परिचालन कमजोर था। राज्यों को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने, संस्थानों का वार्षिक निरीक्षण करने तथा शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना के दिए गए निर्देशों की चयनित पांच राज्यों द्वारा या तो पालन नहीं किया गया था या आंशिक रूप से पालन किया गया था। योजना का 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आधार स्तर पर उसकी प्रभाविता के आंकलन का कोई मूल्यांकन भी नहीं हुआ था। उपर्युक्त उल्लिखित कारकों के निम्नलिखित संभावित जोखिम हो सकते है:

कारक	शामिल जोखिम
त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा	योजना के कार्यान्वयन में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की विफलता अनदेखी रह जाएगी और त्रुटिपूर्ण योजना निष्पादन का कारण बन सकता है।
राज्यों से त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त न होना/आंशिक रूप से प्राप्त होना	योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति को सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा।
संस्थानो के निरीक्षण में कमी	योजना के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की असदभावपूर्ण गतिविधि अनदेखी रह सकती है।
त्रुटिपूर्ण शिकायत निवारण तंत्र	शिकायतों का निपटान नहीं हो पाएगा जो नाराज पक्ष को लाभ से वंचित रखने का कारण बन सकता है।
मूल्यांकन नहीं होना	योजना के कार्यान्वयन में कमी के साथ-साथ योजना दिशानिर्देशों में अंतर अनदेखे रह सकते हैं।

***